



आर्थिक परिदृश्य

2020

आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 | बजट 2020-21 | सरकार की प्रमुख योजनाएँ



Think
IAS




Think
Drishti


प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ की पुस्तकें

(यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पर केंद्रित)


1




2




3




4



5



6



विरत्तुत जानकारी के लिये कॉल करें 8448485520, 87501-87501, 011-47532596



आर्थिक परिदृश्य

2020



दृष्टि पब्लिकेशन्स

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष: 011-47532596, 87501 87501

Website:

www.drishtipublications.com, www.drishtiias.com

E-mail :

[bookteam@groupdrishti.com](mailto:booksteam@groupdrishti.com)

संस्करण : अगस्त 2020

मूल्य: ₹ 250

प्रकाशक

दृष्टि पब्लिकेशन्स,

(A Unit of VDK Eduventures Pvt.Ltd.)

641, प्रथम तल,

डॉ. मुखर्जी नगर,

दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

- * इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये जिम्मेदार नहीं होगा।
- * हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है, तो प्रकाशक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
- * सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- * **⑤ कॉपीराइट:** दृष्टि पब्लिकेशन्स (A Unit of VDK Eduventures Pvt.Ltd.), सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।
- * एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

दो शब्द...

प्रिय पाठकों,

हमने वर्ष 2016 में पहली बार ‘आर्थिक परिदृश्य’ का प्रकाशन किया था। तब यह दुविधा थी कि इस महत्वपूर्ण दस्तावेज़ को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि सभी पुस्तकों की परीक्षोपयोगी सामग्री भी आ जाए और ऐसा करते हुए पाठ रुचिकर भी बना रहे। हमारी टीम ने खूब मेहनत की और एक पुस्तक के रूप में इसे प्रस्तुत किया। इसके बाद पाठकीय प्रतिक्रिया के रूप में ढेर सारी उत्साहजनक बातें हम तक पहुँचीं, अच्छे सुझाव भी आए। आप विद्यार्थियों ने इस पुस्तक को संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग तथा विभिन्न एकादिवसीय परीक्षाओं के लिये उपयोगी बताया। आपके सुझावों के अनुरूप हमने इसकी रूपरेखा में भी आवश्यक बदलाव किये और अब हम ‘आर्थिक परिदृश्य-2020’ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। हमें पूरा भरोसा है कि और पुस्तकों की तरह हमारी यह पुस्तक भी आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगी।

आप इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में ‘भारतीय अर्थव्यवस्था’ खंड का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जहाँ एक तरफ प्रारंभिक परीक्षा में यह खंड सफलता की कुंजी के रूप में स्थापित है, वहाँ दूसरी तरफ मुख्य परीक्षा में भी इसके बिना अच्छे अंक प्राप्त करना लगभग असंभव है। इसका मुख्य कारण यह है कि अर्थव्यवस्था की विभिन्न अवधारणाओं एवं तथ्यों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध सामान्य अध्ययन के अन्य विषयों, जैसे- सामाजिक न्याय एवं कल्याण से संबंधित मुद्दों, आर्थिक और सामाजिक विकास, राजव्यवस्था, गवर्नेंस, समसामयिकी इत्यादि से है। इसके अलावा लगभग प्रतिवर्ष निबंध खंड में कम-से-कम एक निबंध आर्थिक मुद्दे से संबंधित होता ही है। अब यदि सिविल सेवा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भारतीय अर्थव्यवस्था खंड का विश्लेषण करें, तो हम पाते हैं कि इस खंड में ‘आर्थिक सर्वेक्षण’ का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि आप जानते ही हैं, सिविल सेवा परीक्षा (प्रारंभिक + मुख्य) के प्रश्नों का ज्ञाकाव समसामयिक मुद्दों की ओर अधिक होता है, यह बात भारतीय अर्थव्यवस्था खंड पर भी लागू होती है। ऐसे में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में इस खंड से संबंधित प्रश्नों के साथ ‘आर्थिक सर्वेक्षण’ के अध्ययन के बिना न्याय नहीं किया जा सकता। ध्यातव्य है कि सिविल सेवा परीक्षा के वृहद् सिलेबस और बाजार में डपलब्ध पाठ्य सामग्री की भरमार के दौर में यह अपरिहार्य हो जाता है कि हम सफल होने के लिये सटीक रणनीति का अनुसरण करें। इसके लिये आवश्यक है कि जिस भी पाठ्य सामग्री को पढ़ें, उसका प्रयोग सिलेबस के अन्य खंडों में भी करने की आदत डालें। याद रखिये, अगर आप इस योजना में सफल होते हैं तो निस्पंदेह सफलता दूर नहीं है। इस दृष्टि से ‘आर्थिक परिदृश्य’ एक गुणवत्तापरक एवं प्रामाणिक पाठ्य सामग्री है जिसका उपयोग न केवल आप अपने अर्थव्यवस्था (प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा) खंड को मज़बूत बनाने के लिये कर सकते हैं, बल्कि सामान्य अध्ययन के अन्य खंडों के उत्तरों की गुणवत्ता बढ़ाने में भी इसका उपयोग अत्यंत सरल तरीके से कर सकते हैं। अगर आप उपर्युक्त रणनीति से ‘आर्थिक परिदृश्य’ का अध्ययन करते हैं तो यह आपके लिये बोझिल भी नहीं होगा तथा इस पाठ्य सामग्री के जरिये आप अधिक अंक भी अर्जित कर सकेंगे।

प्रस्तुत पुस्तक मुख्य रूप से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ‘आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20’ का सार है। इसमें ‘आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20’ के खंड-I एवं खंड-II का अध्यायवार संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण अत्यंत बोधगम्य, रुचिकर एवं प्रवाहमय भाषा में किया गया है। इस पुस्तक में आम बजट 2020-21 के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे- कृषि, अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे आदि के विकास हेतु किये जाने वाले आवंटन एवं रणनीतियों का भी बिंदुवार संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण किया गया है। इसमें ‘आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20’ में प्रस्तुत की गई भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थितियों, विद्यमान चुनौतियों, भावी संभावनाओं तथा विभिन्न क्षेत्रों की विगत वर्षों की उपलब्धियों एवं परिणामों का विश्लेषण भी किया गया है।

इस पुस्तक में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 और आम बजट 2020-21 में उल्लिखित प्रमुख योजनाओं को भी शामिल किया गया है, जो प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिये बेहद उपयोगी हैं। चैंकि आर्थिक सर्वेक्षण को समझना एक जटिल कार्य है, इसलिये विषय-वस्तु की जटिलता को ध्यान में रखते हुए अत्यंत सरल एवं सहज भाषा के साथ ग्राफिक्स, चार्ट, बॉक्स आदि के माध्यम से सूचनाओं को दर्शाया गया है। हमने आर्थिक सर्वेक्षण के अंग्रेजी संस्करण को आधार बनाते हुए ही इस पुस्तक को तैयार किया है ताकि तथ्यों की प्रामाणिकता अक्षण रहे। साथ ही तकनीकी आर्थिक शब्दावली के हिंदी रूपांतरण के समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि अनुवाद सरल एवं सहज हो, फिर भी सुविधा के लिये मूल शब्द कोष्ठक में लिख दिये गए हैं।

हमें विश्वास है कि पुस्तक का यह संस्करण आपके लिये बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। आपसे निवेदन है कि आप इसे सिर्फ पाठक के रूप में न पढ़ें, बल्कि आलोचक की नज़र से भी पढ़ें। इस पुस्तक के संदर्भ में आप अपने सुझाव/टिप्पणियाँ बेझिझक ‘8130392355’ नंबर पर वाट्सएप मैसेज से भेज सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए सुझाव/टिप्पणियाँ इस पुस्तक के आगामी संस्करण को और बेहतर बनाने में सहायक होंगे।

साभार,
प्रधान संपादक
दृष्टि पब्लिकेशन्स

अनुक्रम

खंड-1

1. अर्थ संपदा सृजन : विश्वास भरे अदृश्य हाथों की भूमिका.....	3
2. जमीनी स्तर पर उद्यमिता एवं धन सृजन.....	14
3. व्यापार समर्थक बनाम पक्षवाद.....	20
4. बाजार की अनदेखी: जब अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप से लाभ की बजाय नुकसान होता है.....	32
5. नेटवर्क उत्पादों के क्षेत्र में निर्यात-विशेषज्ञता द्वारा रोजगार-सृजन और विकास.....	46
6. भारत में व्यवसाय को सुगम बनाने का लक्ष्य.....	58
7. बैंक राष्ट्रीयकरण की स्वर्ण जयंती : एक समीक्षा.....	67
8. एनबीएफसी सेक्टर में वित्तीय भंगुरता.....	79
9. निजीकरण और धन सृजन.....	90
10. क्या भारत की जीडीपी वृद्धि को बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया जाता है? नहीं!.....	100
11. थालीनैमिक्स: भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र	110

खंड-2

1. अर्थव्यवस्था की स्थिति.....	119
2. राजकोषीय घटनाक्रम.....	131
3. वैदेशिक क्षेत्र.....	142
4. मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता	156
5. कीमतें और मुद्रास्फीति.....	166
6. संधारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन.....	174
7. कृषि एवं खाद्य प्रबंधन	184
8. उद्योग और अवसंरचना	193
9. सेवा क्षेत्र	204
10. सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास.....	214

खंड-3

1. बजट 2020-21	227
2. प्रमुख सरकारी योजनाएँ	237

खंड

1 & 2

आर्थिक सर्वेक्षण
(2019-20)

सार तथा विश्लेषण

1

अर्थ संपदा सृजन : विश्वास भरे अदृश्य हाथों की भूमिका (Wealth Creation : The Invisible Hand Supported by the Hand of Trust)

“धन एक अमेध दीपक है जो प्रत्येक भूमि को गति प्रदान करता है, अपने स्वामी के आदेश पर अंधकार मिटाता है।”

-तिरुकुल, अध्याय 76, दोहा 753

“धनार्जन करें- अपने दुम्हों के गर्व को तोड़ने के लिये कोई हथियार इससे ज्यादा कारगर नहीं है।” -तिरुकुल, अध्याय 76, दोहा 759

ज्ञात आर्थिक इतिहास की तीन-चौथाई से अधिक अवधि तक भारत ने वैश्विक स्तर पर अपना आर्थिक प्रभुत्व कायम रखा है। यह प्रभुत्व अपनी दक्षता को सुस्पष्ट करता है। भारत ने आर्थिक प्रभुत्व की अधिकांश अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में अर्थ सृजन के लिये बाजार के अदृश्य हाथों (कारोबारियों) पर भरोसा जाता रहा। विशेष रूप से, बाजार के अदृश्य हाथ (इनविजिबल हैंड), जो आर्थिक लेन-देन के खुलेपन में परिलक्षित होता है, को विश्वास भरे हाथों के साथ जोड़ा गया है।


समीक्षा में यह दर्शाया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद के समकालीन साक्ष्य हमारी परंपरागत विचारधारा में वर्णित आर्थिक मॉडल का समर्थन करते हैं। उदारीकरण के बाद भारत की जीडीपी एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी में हुई प्रचंड वृद्धि स्टॉक मार्केट में अर्जित होने वाले धन के समतुल्य हैं। निस्सदेह, समीक्षा में यह स्पष्ट किया गया है कि बंद क्षेत्रों की तुलना में उदारीकृत क्षेत्रों में अधिक तेजी से प्रगति हुई है। वर्ष 2011-13 की अवधि के दौरान वित्तीय क्षेत्र की घटनाओं एवं परिणामों में द्वितीय स्तर्भ के रूप में अदृश्य हाथ के समर्थन में विश्वास की आवश्यकता की व्याख्या की गई है।

सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की भारत की महत्वपूर्ण रूप से बाजार के अदृश्य हाथ एवं विश्वास, जो बाजार का समर्थन करता है, दोनों को सुदृढ़ करने पर निर्भर है। बाजार के अदृश्य हाथ को, (i) नए व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करके, निष्पक्ष प्रतियोगिता करके एवं व्यवसाय को सुगम बनाकर; (ii) उन नीतियों को समाप्त करना जो सरकारी हस्तक्षेपों के माध्यम से बाजारों की शक्तियों को कम आँकती हैं; (iii) रोजगार सृजन हेतु व्यापार को सक्षम बनाकर; (iv) भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार के अनुरूप बैंकिंग क्षेत्र में प्रभावी ढंग से वृद्धि करके, बाजार अनुकूल नीतियों का प्रचार करके सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। “विश्वास का एक ऐसी सार्वजनिक वस्तु, जो अधिक उपयोग के साथ बढ़ती है”, के रूप में परिचय देते हुए समीक्षा यह बताती है कि इस सार्वजनिक वस्तु में बढ़ोतरी हेतु डाटा और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से नीतियों द्वारा पारदर्शिता को सशक्त और प्रवर्तन को प्रभावशाली बनाया जाना चाहिये।

अर्थ सृजन का महत्व (Importance of Wealth Creation)

- विदित आर्थिक इतिहास की तीन-चौथाई से अधिक अवधि तक भारत वैश्विक स्तर पर प्रमुख आर्थिक शक्ति रहा है। यह देश ऐतिहासिक रूप से प्रमुख अर्थ-सृजक तथा विश्व की जीडीपी का महत्वपूर्ण अंशदाता है।

1 ई. से 2003 ई. तक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा विश्व की जीडीपी में योगदान



स्रोत: मैडीसन A (2007)

नोट: ग्राफ के X-अक्ष पर अरेखीय (Non-linear) पैमाना है, विशेषकर 1-1500 ई. के लिये, जिसमें भारत के प्रभुत्व को कम आँका गया है।

ज़मीनी स्तर पर उद्यमिता एवं धन सृजन (Entrepreneurship and Wealth Creation at the Grassroots)

“जो सभी संसाधनों एवं अवसरों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करता है, वह सक्षम है (उद्यमी) और उसके लिये कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है।”


-तिरुकुरल

भारत सरकार के ‘स्टार्टअप इंडिया’ अधियान में भारत में उत्पादकता वृद्धि एवं धन सृजन के संबंद्हन के लिये उद्यमिता की उत्तरात्म महत्वपूर्ण युक्ति के रूप में पहचान की गई है। इस पहल को देखते हुए इस अध्याय में भारत के 500 ज़िलों की उद्यमिता संबंधी कार्यकलाप के विषय एवं संचालकों का परीक्षण किया गया है, जो प्रशासनिक सूची स्तंभ में सबसे नीचे है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए)-21 डेटाबेस से व्यापक आँकड़ों का प्रयोग करते हुए सभी ज़िलों में औपचारिक क्षेत्र में प्रारंभ की गई नई फर्मों का विश्लेषण किया गया है।

उद्यमिता पर विश्व बैंक के आँकड़ों का उपयोग करते हुए यह अध्याय इस बात की पुष्टि करता है कि भारत नई फर्मों के निर्माण के मामले में तीसरे स्थान पर है। इसी आँकड़े से पता चलता है कि 2014 से भारत में नई फर्म का निर्माण प्रभावशाली रूप से बढ़ा है। 2006-2014 के दौरान औपचारिक क्षेत्र में नई फर्मों की संख्या 3.8 प्रतिशत के संचयी वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी, जबकि 2014 से 2018 तक वृद्धि दर 12.2 प्रतिशत रही। नीतिजनन, 2014 में बनाई गई लगभग 70,000 नई फर्मों से, 2018 में नई फर्मों की संख्या लगभग 80 प्रतिशत बढ़कर 1,24,000 हो गई है। सेवा क्षेत्र में भारत की नई आर्थिक संरचना, यानी तुलनात्मक लाभ को दर्शाते हुए सेवाओं में नई फर्म का सृजन विनिर्माण, बुनियादी ढाँचे या कृषि की तुलना में काफी अधिक है। ज़मीनी स्तर पर उद्यमशीलता केवल आवश्यकता से प्रेरित नहीं है क्योंकि ज़िले में नई फर्मों के पंजीकरण में 10 प्रतिशत की वृद्धि के कारण सकल घरेलू ज़िला उत्पाद (जीडीपीपी) में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार, प्रशासनिक पिरामिड के निचले स्तर (एक ज़िला) में उद्यमशीलता का ज़मीनी स्तर पर संपत्ति सृजन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जीडीपी पर उद्यमशीलता की गतिविधि का यह प्रभाव विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिये अधिकतम स्तर पर है। नई फर्मों का निर्माण भारतीय ज़िलों और क्षेत्रों में बहुत विषम है। इसके अतिरिक्त, यह स्थिति केवल कुछ शहरों तक ही सीमित न होकर पूरे भारत में फैली हुई है। एक ज़िले में शिक्षा स्थानीय उद्यमिता को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। बस्तुतः उद्यमिता पर साक्षरता का प्रभाव उस समय अत्यधिक उल्लेखनीय होता है जब यह 70 प्रतिशत से ऊपर हो। एक ज़िले में स्थानीय शिक्षा स्तर और भौतिक अवसंरचना की गुणवत्ता नए फर्मों के सृजन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। अतः विनिर्माण क्षेत्र में हमारे युवाओं के लिये अपार संभावनाएँ हैं और व्यापार सुगमता को बढ़ाने तथा लचीली श्रम नीति अपनाने से ज़िलों में और पूरे देश में अधिकतम रोजगार सृजित होंगे। शिक्षा, साक्षरता और भौतिक अवसंरचना अन्य नीतियाँ हैं, जिन्हें ज़िला और राज्य

प्रशासन को उद्यम विकास के लिये अपनानी चाहिये जिससे रोजगार एवं धन सृजन हो सके।

- आर्थिक विकास एवं उत्तरवर्ती रोजगार वृद्धि के संदर्भ में उद्यमिता अनेक नीति-निर्माताओं के महत्वपूर्ण आकर्षण केंद्रों का प्रस्तुतीकरण करती है। उद्यमी उस परिवर्तन के एजेंट के रूप में देखे जा सकते हैं जो अर्थव्यवस्था में नवाचार को गति प्रदान करते हैं। विश्व बैंक के ईओडीबी उद्यम आँकड़े और यूएस सेंसस ब्यूरो के आँकड़ों को एक साथ प्रयोग करके भारत की नई फर्मों की कूल संख्या की एशिया, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के देशों से की गई तुलना यह स्थापित करती है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी उद्यमिता पारिस्थितिकीय प्रणाली है।



स्रोत: विश्व बैंक का ईओडीबी उद्यमिता डाटा, यूएस जनसंख्या ब्यूरो एवं समीक्षा परिकलनों की निर्माण सांख्यिकी

नोट: भारत, ब्राजील एवं इंडोनेशिया के लिये द्वितीयक अक्ष।

डाटा और कार्यविधि

तीन डाटा स्रोतों के प्रतिच्छन (intersection) द्वारा प्रतिदर्शी की रचना की जाती है। प्रथम, सीईआईसी इंडिया प्रीमियम डाटाबेस से प्रचलित कीमतों पर ज़िला स्तरीय जीडीपी पर डाटा हासिल किये गए हैं। डाटा संकलन की अवधि वर्ष 2000 की समाप्ति से लेकर 2018 की दर्ज की गई है। इसलिये, भारत के 22 राज्यों में 504 ज़िलों की ज़िला स्तरीय जीडीपी को समाहित करते हुए 5,591 ज़िला-स्तरीय पर्यवेक्षण किये गए। उद्यमिता का मापन कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए)-21 डाटा में शामिल नई फर्मों के तौर पर किया जाता है, ये डाटासेट 1990 और 2018 के बीच कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) में पंजीकृत सभी सक्रिय फर्मों की एक साथ सूचना उपलब्ध कराता है। उसके बाद एमसीए-21 में फर्मों के पंजीकृत कार्यालयों के पते का उपयोग करते हुए ज़िले की प्रत्येक फर्म का मिलान किया जाता है। इन डाटा के उपयोग

3

व्यापार समर्थक बनाम पक्षवाद (Pro-Business Versus Pro-Crony)


भारत की \$5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा बाजार समर्थक नीतियों को गंभीरता से बढ़ावा देने पर निर्भर करती है, जो एक ओर धन सृजन के लिये प्रतिस्पर्धी बाजारों की शक्ति को छूट देना चाहती है तो दूसरी ओर उन 'व्यापार समर्थक' नीतियों से दूर रहती है जिससे निजी हितों, विशेषकर शक्तिशाली घरानों को बढ़ावा मिल सकता है। वर्ष 1991 के बाद की अर्थीक घटनाएँ इस महत्वपूर्ण अंतर की मजबूत साक्षी हैं। शेयर बाजार, जो किसी भी अर्थव्यवस्था की नज़र होता है, के दृष्टिकोण से देखने पर यह पता चलता है कि सुधार के पश्चात् रचनात्मक विनाश में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। उदारीकरण से पूर्व, एक सेंसेक्स फर्म, जिसके इस व्यवसाय में 60 वर्ष तक बने रहने की संभावना थी, वह उदारीकरण के पश्चात् घटकर केवल 12 वर्ष तक रह गई। प्रत्येक पाँच वर्षों में, एक तिहाई सेंसेक्स फर्म यात्रिक रूप से अर्थव्यवस्था में नई फर्मों, उत्पादों एवं प्रौद्योगिकियों के सतत अंतर्भाव को परिलक्षित करती हैं। प्रतिस्पर्धी बाजारों को सक्षम बनाने में प्रभावशाली प्रगति के बावजूद, व्यापार समर्थक नीतियों ने अर्थव्यवस्था में मूल्यों का विनाश भी किया है। उदाहरण के लिये, राजनीति से संबद्ध फर्मों के इकिवटी सूचकांक ने एक आम नागरिक के खर्च पर असामान्य लाभ उत्सर्जित करते हुए वर्ष 2007-2010 के दौरान प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत की दर से बाजार में बेहतर प्रदर्शन किया। इसके विपरीत, वर्ष 2010 के पश्चात् सूचकांक ने बाजार से 7.5 प्रतिशत कमज़ोर प्रदर्शन किया जो इन फर्मों की अक्षमता और इनमें अंतर्निहित मूल्य विनाश को दर्शाता है। वर्ष 2011 तक प्राकृतिक संसाधनों के विवेकाधीन आवंटन में परिलक्षित व्यापार समर्थक नीतियों के कारण लाभार्थियों द्वारा भाड़ की मांग की गई जबकि वर्ष 2014 के बाद उन्हें संसाधनों के प्रतिस्पर्धी आवंटन से इस प्रकार की रेट-सीकिंग व लॉबी प्रचार समाप्त हो गया। इसी प्रकार से, विलफुल डिफॉल्टर को ऋण प्रदान करने के कारण स्वेच्छाकारी रूप से ऋण का बकाया भुगतान नहीं किया गया जिसके कारण प्रवर्तकों ने सामूहिक रूप से बैंकों से बैंडमानीपूर्वक पैसा निकाल लिया। इससे बैंकों को हानि होती है और उनके समक्ष ग्रामीण विकास के लिये दिये जाने वाले अनुदान बहुत कम रह जाते हैं।

बाजार समर्थक, रचनात्मक विनाश एवं संपत्ति सृजन (Pro-Business, Creative Destruction and Wealth Creation)

- वर्ष 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से प्रतिस्पर्धी बाजारों को खुली छूट मिल गई। इसने रचनात्मक विनाश (Creative Destruction) के द्वारा खोले, जिसका लाभ हम आज भी प्राप्त कर रहे हैं। एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स से भारतीय इकिवटी बाजारों में अपनाए गए दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए हम उदारीकरण के बाद

की अवधि में भारत में बाजार समर्थक गत्यात्मकता में स्पष्ट वृद्धि देख सकते हैं। वर्ष 1991 के बाजार सुधारों के बाद सेंसेक्स में न केवल बढ़ोतरी हुई अपितु इसमें तीव्र गति से वृद्धि हुई। जहाँ एक ओर पहले 5000 अंकों की बढ़त 13 वर्षों के बाद 1999 में हासिल की गई थी, वहाँ दूसरी ओर प्रत्येक बढ़त हासिल करने के लिये लगने वाले समय में काफी कमी आ गई है।

- सेंसेक्स की बढ़ोतरी को वर्ष 1999 के बाद तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है। वर्ष 1999 से वर्ष 2007 तक के पहले चरण में सेंसेक्स में त्वरित बढ़ोतरी देखी गई, जिसमें प्रत्येक उत्तरवर्ती 5000 अंकों को हासिल करने में पहले से कम समय लगा। वर्ष 2007 से वर्ष 2014 के दूसरे चरण में सूचकांक की बढ़ोतरी में धीमी रफ्तार दिखी, यह चरण अन्य प्रतिकूल घटनाओं के साथ वर्ष 2008 की वैश्विक मदी का भी समय था। तीसरा चरण वर्ष 2014 में प्रारंभ हुआ और इसमें संरचनात्मक सुधारों एवं वैश्विक तरलता में सुधार के प्रत्युत्तर में पुनः प्रवर्तन दिखाई दिया। इस चरण में, सेंसेक्स आचरण्यजनक ढंग से मात्र दो वर्षों में 30,000 अंकों से 40,000 अंकों तक पहुँच गया। वस्तुतः सेंसेक्स में त्वरण आधार प्रभाव के कारण नहीं था, बल्कि उच्चतर त्वरण, उच्चतर सीएजीआर (Cumulative Abnormal Growth Rates) के कारण था।



स्रोत: बीएसई

नोट: प्रत्येक चरण को पार करने के समय को पिछले चरण के बंद होने पर सेंसेक्स के पहली बार बंद होने और वर्तमान चरण पर इसके पहली बार बंद होने के बीच के समय के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह चरण बंद कीमतों पर आधारित होता है। व्यतीत समय को कैलेंडर दिनों की संख्या के रूप में दर्ज किया जाता है और उसको 30 दिनों का माह मानकर माह में परिवर्तित किया जाता है।

4

बाज़ार की अनदेखी: जब अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप से लाभ की बजाय नुकसान होता है (Undermining Markets : When government intervention hurts more than it helps)

क्षणशः कणशशचैव विद्याम् अर्थं च साधयेत्।

क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम्॥

(लोगों को प्रत्येक पल विद्यार्जन का प्रयास करना चाहिये। इसी प्रकार लोगों को संसार के प्रत्येक कण से अर्जन करना चाहिये। यदि आप एक पल भी नष्ट करते हैं, तो ज्ञानार्जन नहीं कर सकते हैं और यदि आप एक कण भी गँवाते हैं, तो आप धन का अर्जन नहीं कर सकते।)

यद्यपि सरकारी हस्तक्षेप नेक इरादों से किया जाता है तथापि प्रायः सम्पदा का सूजन करते समय बाज़ारों की क्षमता को कम करके आँका जाता है और परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता है। इस अध्याय में विगत समय की सरकार के हस्तक्षेपों के चार उदाहरणों का विश्लेषण किया गया है, हालाँकि ऐसे और कई उदाहरण दिये जा सकते हैं।

- प्रथम, आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act.) के तहत वस्तुओं पर कुल स्टॉक सीमा पर लगातार और अप्रत्याशित प्रतिबंध से न तो कीमतों में कमी आती है और न ही मूल्य अस्थिरता को कम करने में मदद मिलती है। जबकि इस तरह के हस्तक्षेप से अनुचित लाभ प्राप्त करने (Rent seeking) और उत्पीड़न जैसे कृत्य को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिये, 2006 की तीसरी तिमाही में दाल पर, 2009 की पहली तिमाही में चीनी पर और सितंबर 2019 में प्याज पर स्टॉक सीमा लागू करने से थोक और खुदरा कीमतों में स्थिरता आने की बजाय अस्थिरता बढ़ गई थी, जो कि कीमतों में ढील देने के अपने उद्देश्य के विपरीत था।
- 2019 में ECA के अधीन 76,000 छापे मारे गए। एक न्यूनतम छापे में 5 व्यक्ति के शामिल होने की कल्पना करें तो ECA को अमल में लाने के लिये काफी प्रशासनिक बल लगाना पड़ा। यद्यपि दोषसिद्धि दर को देखें तो यह बहुत कम थी और छापों ने मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं डाला। ECA कानून, 1955 में तब बनाया गया था जब भारत अकाल और कमी को लेकर चिंतित था। आज के भारत में यह अव्यावहारिक हो गया है और इसे अवश्य समाप्त कर देना चाहिये।
- दूसरा, डीपीसीओ 2013 के माध्यम से दवाओं की कीमतों के विनियमन के ज़रिये विनियमित फार्मास्युटिकल दवाओं के मूल्य में, जो विनियमित नहीं है, वृद्धि की गई है। कीमतों में वृद्धि का मूल कारण तुलनात्मक रूप से खर्चों नियुक्ति का सहारा लेना था और महँगी खुदरा दुकानों की बजाय अस्पतालों में बेची गई थीं, इससे इस बात को बल मिलता है कि परिणाम डीपीसीओ के उद्देश्य के विपरीत हैं, जबकि डीपीसीओ का उद्देश्य दवाओं को सस्ती दरों पर आम लोगों को उपलब्ध कराना है। विभिन्न वस्तुओं (दाल, चीनी, प्याज और दवाएँ) के तथ्य, न
- तीसरा, सरकार खाद्यान्न बाज़ार में सरकारी दलाल और संग्रहकर्ता के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाती है, जिसके फलस्वरूप इन बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसके फलस्वरूप एफसीआई (Food Corporation of India) में बफर स्टॉक के अतिप्रवाह होने से खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिये जगह की भी कमी पड़ गई, सब्सिडी का बोझ बढ़ गया है, और अनाज की मांग और आपूर्ति के बीच सामंजस्य नहीं होने के कारण फसल विविधीकरण को बढ़ावा नहीं मिलता है।
- चौथा, राज्यों के द्वारा की गई कर्जमाफी के विश्लेषण से पता चलता है कि पूर्ण माफी का लाभप्राप्त करने वाले लोग कम उपभोग करते हैं, कम बचत करते हैं, कम निवेश करते हैं और कर्जमाफी के बाद आंशिक लाभार्थियों की तुलना में कम उत्पादक होते हैं। आंशिक माफी के लाभार्थियों की तुलना में पूर्ण लाभार्थियों के लिये औपचारिक ऋण की हिस्सेदारी घट जाती है, जिससे किसानों को प्रदान की गई कर्जमाफी का उद्देश्य समाप्त हो जाता है।
- अध्याय इस बात की पुष्टि करता है कि सरकार के प्रत्येक विभाग और मंत्रालय को व्यवस्थित ढंग से उन क्षेत्रों की जाँच करनी होगी, जहाँ सरकार अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करती है और बाज़ार को नज़रअंदाज़ करती है, ध्यान दें कि अध्याय यह तर्क नहीं करता कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। बल्कि, अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेपों को दूर करने से प्रतिस्पर्धा बाज़ार सक्षम बनेगा और जिसके चलते निवेश और आर्थिक उन्नति को प्रोत्साहन मिलेगा।
- यद्यपि भारत ने फर्मों और अपने नागरिकों के लिये आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी इसे दुनिया की जर्जर (जकड़ी हुई) अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता वैश्विक सूचकांकों में, भारत निचले आधे स्थान पर आता है। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा लाए गए आर्थिक स्वतंत्रता के सूचकांक और फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा लाए गए वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता को लोगों द्वारा आर्थिक संपत्ति (वस्तु) और संसाधनों को प्राप्त करने में अपनी पसंद की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने की आर्थिक आजादी के रूप में मापा जाता है। वर्ष 2019 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 186 देशों के बीच 55.2 अंकों/स्कोर के साथ 129वें स्थान पर अर्थात् नीचे के 30% देशों में ‘अधिकांश अस्वतंत्र/अन-फ्री’ के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

5

नेटवर्क उत्पादों के क्षेत्र में निर्यात-विशेषज्ञता द्वारा रोज़गार-सृजन और विकास (Creating Jobs and Growth by Specializing to Exports in Network Products)

“प्रत्येक मनुष्य का जीवन परस्पर आदान-प्रदान से चलता है”
-एडम स्मिथ

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु वर्तमान परिवेश भारत को चीन जैसे श्रम-प्रधान निर्यात पथ का अनुसरण करने का एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है और हमारे उदयीमान युवाओं के लिये असीमित रोज़गार अवसर सृजित करने का एक अनन्य अवसर प्रदान करता है। ‘असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड’ को ‘मेक इन इंडिया’ के साथ एकीकृत करके भारत, वर्ष 2025 तक 4 करोड़ और वर्ष 2030 तक 8 करोड़ उत्तम वैतनिक रोज़गार सृजित कर सकता है। नेटवर्क उत्पादों का निर्यात, जिसके वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर \$7 ट्रिलियन तक पहुँचने की आशा है, वर्ष 2025 तक \$5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिये मूल्यवर्धन में वृद्धि करते हुए इसके एक-चौथाई तक योगदान कर सकता है। इसलिये, इस अध्याय में इस सुअवसर का लाभ उठाने के लिये एक सुविचारित कार्यनीति का उल्लेख किया गया है। भारत की तुलना में चीन का उल्लेखनीय निर्यात श्रमप्रधान गतिविधियों, विशेष रूप से ‘नेटवर्क उत्पादों’ के संबंध में, सुविचारित व्यापक विशेषज्ञता से प्रेरित है, जहाँ उत्पादन का कार्य बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा प्रचालित वैश्विक मूल्य-शृंखलाओं (जीवीसी) के माध्यम से होता है। नेटवर्क उत्पादों के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर असेंबलिंग कार्यों की समर्थकारी व्यवस्था पर बारीकी से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। चूँकि भारत जैसे देश के लिये, जहाँ व्यापार के मोर्चे पर विभिन्न स्वरूपों वाली असुरक्षा की भावना के कारण इस अवसर का लाभ उठाना अत्यधिक कठिन दिखता है, हमारी व्यापारिक नीति में एक समर्थकारी गुण होना अपेक्षित है। वस्तुतः, वर्तमान भव्य की भावना के उलट, सभी संबद्ध कारकों को निर्यातित करने वाले सतर्क विश्लेषण से पता चलता है कि भारत ने व्यापारिक कारणों द्वारा साझेदार देशों से, व्यापार अधिशेष के अंतर्गत विनिर्मित उत्पादों के संबंध में 0.7 प्रतिशत वृद्धि प्रतिवर्ष और कुल व्यापार के संबंध में 2.3 प्रतिशत वृद्धि प्रतिवर्ष की दर से लाभ प्राप्त किया है।

- निर्यातों में वृद्धि भारत में रोज़गार सृजन के लिये अत्यधिक आवश्यक मार्ग प्राप्त करती है। उदाहरण के लिये, वर्ष 2001 से 2006 तक की 5 वर्ष की अवधि में ही श्रम प्रधान निर्यातों से चीन प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ श्रमिकों के लिये 70 मिलियन नौकरियाँ सृजित करने में समर्थ हुआ है। भारत में बड़े हुए निर्यातों से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1999 और 2011 के बीच की अवधि में लगभग 8,00,000 रोज़गारों का अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है, जो श्रमिक बल का 0.8 प्रतिशत है (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट, 2019)।

- यूएस-चीन व्यापार संघर्ष वैश्विक मूल्य-शृंखलाओं (जीवीसी) में बड़े समायोजन का कारण बन रहा है और फर्में अब अपने प्रचालनों के लिये वैकल्पिक स्थानों की तलाश कर रही हैं। यहाँ तक कि व्यापार संघर्ष प्रारंभ होने से पहले भी, औद्योगिक उत्पादों की अतिम असेंबलिंग के लिये निम्न लागत के स्थान के रूप में चीन की छवि श्रम में कमी और मज़दूरियों में वृद्धि के कारण तेज़ी से बदल रही थी। ये घटनाक्रम भारत के लिये ऐसी समान निर्यात वक्र रेखा (ट्रेजेक्टरी) की प्रगति एवं विकास को सावधानी से और विस्तारपूर्वक जानने का एक अप्रत्याशित अवसर प्रस्तुत करते हैं, जिसका अनुसरण करके चीन ने अपने युवाओं के लिये असीमित रोज़गार अवसर सृजित किये। चूँकि अपने श्रमिकों की बाहुल्यता में कोई भी अन्य देश चीन का मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिये हमें श्रम-गहन क्षेत्रों में रिक्त होने वाले स्थान को हथिया लेना चाहिये।

- वर्ष 1991 के सुधारों के बाद, व्यापारिक (माल) निर्यातों में भारत की भागीदारी 13.2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ी है और यह वर्ष 1991 में 0.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018 में 1.7 प्रतिशत हो गई है। फिर भी, वर्ष 2018 तक भी भारत की वैश्विक बाज़ार में भागीदारी चीन की 12.8 प्रतिशत की भागीदारी की तुलना में नगण्य है। इसके अतिरिक्त, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यापारिक निर्यात विश्व के औसत की तुलना में भारत के लिये बड़ी मात्रा में निरंतर नीचे रहा है। व्यापारिक आयात निर्यातों की अपेक्षा अधिक तेज़ी से (वर्ष 1993-2018 के दौरान 14.9 प्रतिशत की दर पर) बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार घाटे में वृद्धि हो रही है। दूसरी ओर, सेवाओं के निर्यात सामान्यतः आयातों की अपेक्षा अधिक तेज़ी से बढ़े हैं, जिसके कारण चालू खाता घाटे में कुछ राहत मिली है।

- इस संदर्भ में जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं, वे हैं: (i) तीव्र निर्यात वृद्धि हासिल करने के लिये किस प्रकार के नीतिगत हस्तक्षेपों से मद्द मिलेगी? (ii) क्या नीतियों को विशिष्टीकरण (गहन मार्जिन) अथवा विविधीकरण (व्यापक मार्जिन) के माध्यम से व्यापार वृद्धि के लिये लक्षित किया जाता है? (iii) घरेलू उद्योगों के लिये मज़बूत स्थानीय संपर्कों को बढ़ावा देना या वैश्विक रूप से बिखरी हुई जीवीसी में भागीदारी करना, क्या यह हमारे हित में है? (iv) वे कौन-कौन से उद्योग हैं जिनके पास निर्यात वृद्धि और रोज़गार सृजन के लिये सर्वाधिक संभावनाएँ हैं? और (v) क्या निर्मुक्त व्यापार समझौता भारत के लिये लाभकारी है?

6

भारत में व्यवसाय को सुगम बनाने का लक्ष्य (Targeting Ease of Doing Business in India)

“राजा (अर्थात् राज्य) सङ्क और जलीय मार्गों द्वारा व्यापार के मार्ग संस्थापित कर और और बाजार तथा बंदरगाहों की स्थापना कर व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देगा”

कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चौथी सदी ईसा पूर्व

उद्यमिता, नवाचार और धन-वृद्धि के लिये व्यवसाय सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस) एक आधारभूत तत्व है। हाल के वर्षों में, विश्व बैंक द्वारा घोषित की जाने वाली, व्यवसाय सुगमता संबंधी रैंकिंग में भारत ने महत्वपूर्ण सुधार किया है, परंतु ऐसी कई श्रेणियाँ हैं जिनमें भारत अभी पीछे है, जैसे- व्यवसाय प्रारंभ करना, संपत्ति का पंजीकरण करना, करों के भुगतान करना और संविदाओं का प्रवर्तन करना। इस अध्याय में इन्हीं प्राचलों (Parameters) पर फोकस किया गया है और भारत के कार्यनिष्पादन की तुलना इसके समकक्षों तथा सर्वोत्तम श्रेणी धारकों के साथ की गई है। यह अध्याय, किसी विनिर्माण या सेवा व्यवसाय (विशेष रूप से रेस्टरां के क्षेत्र में) द्वारा कानूनों, नियमों और अन्य सार्विधिक अपेक्षाओं के अनुपालन की गहनता का भी अन्वेषण करता है।

निर्यात संबंधी प्रतियोगितात्मकता न केवल उत्पादन की लागत पर बल्कि संचालन की दक्षता पर भी निर्भर करती है। कारखाने से निकलकर विदेशी ग्राहक के भंडारण तक पहुँचने में विशिष्ट व्यापारिक मदों के लिये प्रत्येक चरण में लगने वाले समय का विश्लेषण करने के लिये अनेक केस अध्ययनों का सहाय लिया गया है। विडंबना यह है कि आयात के लिये प्रवाह, निर्यात की तुलना में अधिक कुशल है। हालाँकि, बंगलूरु हवाई अड्डे के माध्यम से होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान के आयात और निर्यात, दोनों ही विश्वस्तरीय पाए गए। अतः भारतीय हवाई अड्डों पर की जाने वाली कार्यवाहियों का अनुसरण करते हुए इन्हें बंदरगाहों के संबंध में भी अपनाया जाना चाहिये।

परिचय (Introduction)

- वर्ष 2024-25 तक भारत की पाँच ट्रिलियन डॉलर-अर्थव्यवस्था की दिशा में छलाँग लगाने के लिये एक व्यवसाय के अनुकूल विनियामक परिवेश तैयार करने और उसे सरल बनाए रखने की आवश्यकता होगी। व्यापार करने में शामिल विनियामक प्रक्रिया में दबावों और अंतराल को समाप्त करने के लिये यह महत्वपूर्ण है कि विभिन्न प्राचलों (Parameters) पर अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के साथ तुलनात्मक रूप में देश की प्रगति का मापन किया जाए।
- विश्व बैंक की, व्यवसाय सुगमता वाले देशों की रैंकिंग में, भारत ने वर्ष 2014 के 142वें स्थान से आगे बढ़ते हुए वर्ष 2019 में 63वाँ

स्थान हासिल करके इस संबंध में सुधार की दिशा में एक लंबी छलाँग लगाई है। भारत ने 10 में से 7 प्राचलों पर प्रगति दर्ज की है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और दिवाला एवं शोधन अक्षमता सहित (आईबीसी) उन सुधारों की सूची में शीर्ष पर हैं जिन्होंने रैंकिंग में भारत की प्रगति को प्रेरित किया है।

- हालाँकि, भारत कुछ प्राचलों के मामले में पिछड़ी स्थिति में है, जैसे- व्यवसाय प्रारंभ करने की सुगमता (रैंक-136), संपत्ति का पंजीकरण (रैंक-154), करों का भुगतान (रैंक-115) और संविदाओं का प्रवर्तन (रैंक-163)। संपत्ति का पंजीकरण करने में लगभग 58 दिनों का समय लगता है और संपत्ति के मूल्य का औसतन 7.8 प्रतिशत खर्च आता है तथा किसी स्थानीय प्राथमिक न्यायालय के माध्यम से किसी व्यापारिक विवाद के समाधान में एक कंपनी के 1,445 दिन खर्च हो जाते हैं। ये आँकड़े न केवल समय की दृष्टि से बड़े हैं बल्कि ओईसीडी उच्च आय-अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अक्सर खर्च की दृष्टि से भी बड़े हैं और इसलिये, धन-समृद्धि के मार्ग में इनसे अड़चने उत्पन्न होती हैं।
- इस अध्याय में व्यवसाय सुगमता (डूइंग बिज़नेस) रिपोर्ट में प्रयुक्त प्राचलों पर भारत के कार्यनिष्पादन का विश्लेषण किया गया है और इसके समकक्षों तथा इस श्रेणी में सर्वोत्तम, न्यूजीलैंड, से तुलना की गई है जिसने विगत अनेक वर्षों के दौरान नंबर एक की रैंक हासिल की है।

व्यवसाय सुगमता रैंकिंग में भारत की यात्रा का विवरण

परामीटर	2018	2019
व्यवसाय प्रारंभ की सुगमता	137	136
निर्माण परमिट संबंधी कार्य	52	27
विद्युत प्राप्त करना	24	22
संपत्ति पंजीकरण	166	154
व्यवसाय हेतु ऋण-प्राप्ति	22	25
लघु निवेशकों के हितों का रक्षण	7	13
करों का भुगतान	121	115
सीमा पार व्यापार	80	68
संविदाओं का प्रवर्तन	163	163
दिवालियापन का समाधान	108	52
समग्र रैंक	77	63

मोत: व्यवसाय सुगमता डायबेस, विश्व बैंक

बैंक राष्ट्रीयकरण की रवर्ण जयंती : एक समीक्षा (Golden Jubilee of Bank Nationalisation : Taking Stock)


“देश के पूँजी परिवर्द्धन (Augmenting) ही नहीं, बल्कि बैंकिंग गतिविधियों के सर्वाधिक न्यायसंगत उपयोग से भी मौजूदा पूँजी के बड़े भाग को सक्रिय करके और उसकी उत्पादकता बढ़ाकर देश की औद्योगिक अभिवृद्धि की जा सकती है।”

-एडम स्मिथ

वर्ष 2019 में, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का 50वाँ वर्ष पूर्ण हुआ। इसलिये यह उचित ही होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में कार्य करने वाले 3,89,956 अधिकारियों, 2,95,380 लिपिकों और 1,21,647 सहायक कर्मचारियों की कार्यासिद्धियों की खुशी मनाई जाए। साथ-ही-साथ, यह भी उचित होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाए। वर्ष 1969 (बैंक राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम) से ही, भारत दिन दूनी गत चौमुनी प्रगति करते हुए विश्व की 5वाँ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। इसके बाद भी, अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से भारत का बैंकिंग क्षेत्र यथोचित रूप से विकसित नहीं हो पाया है।

एक विशाल अर्थव्यवस्था की संवृद्धि में सहायता देने के लिये एक दक्ष बैंकिंग क्षेत्र की आवश्यकता होती है। ऐतिहासिक रूप से पिछले 50 वर्षों में शीर्ष पाँच अर्थव्यवस्थाओं को सदैव उनके बैंकिंग क्षेत्र की ओर से उचित सहारा मिला है। भारत के बैंकों को अपने आर्थिक अनुपात के आकार में भूमिका निभाना चाहिये, शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों में 6 भारत के होने चाहिये। ऐसे में हमारा सर्वोच्च श्रेणी प्राप्त बैंक-भारतीय स्टेट बैंक-विश्व में 55वें स्थान पर है जोकि काफी नीचे है तथा विश्व के 100 बैंकों में स्थान पाने वाला एकमात्र बैंक है। चूँकि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत है अतः भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा देने और इसके आर्थिक विकास का पोषण करने की जिम्मेदारी इन्हीं पर है। परंतु, यदि कार्यानिष्ठादान के प्रत्येक पैरामीटर के हिसाब से देखें, तो पीएसबी में अपने समकक्ष समूहों की तुलना में दक्षता का अभाव है। विगत वर्षों में, नरसिंहन समिति (1991, 1997), राजन समिति (2007) और पी.जे. नायक समिति (2014) ने पीएसबी की दक्षता बढ़ाने के लिये अनेक सुझाव दिये हैं। इस समीक्षा में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की दक्षता के संबंधन हेतु बैंकिंग कार्यों में (वित्तीय प्रौद्योगिकी) फिनिटेक के उपयोग और समस्त स्तरों पर कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व के उपयोग का सुझाव दिया गया है। इनसे पीएसबी को और अधिक दक्षता प्राप्त होगी और वे 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की दिशा में राष्ट्र की यात्रा में कुशलतापूर्वक सहयोग करने में समर्थ हो सकेंगे।


वैश्विक शीर्ष 100 देशवार बैंकों का क्रम (2019)



स्रोत: विकिपीडिया

- सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में समानुपातिक रूप से बड़े बैंकों का योगदान है। विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में चीन के 18 बैंकों का होना सकारात्मक रूप से उसकी मजबूती को दर्शाता है। निजी क्षेत्र में बैंक साख की पैठ का देश की जीडीपी के अनुसार मूल्यांकन करने से भारत में साख की पैठ का आकलन हो जाता है क्योंकि भारत में यह साख मुख्यतः बैंक ही प्रदान करते हैं। अतिन्यून आनुपातिक पैठ केवल हमारी विशाल जनसंख्या के कारण नहीं है। यह सत्य है कि अधिक जनसंख्या के कारण साख पैठ का आकार कम हो जाता है, किंतु भारत में तो यह न्यूनता जनसंख्या की तुलना में बहुत ही कम हो गई है। संक्षेप में, देश की अर्थव्यवस्था का आकार (जीडीपी), अर्थव्यवस्था का विकास, (प्रति व्यक्ति जीडीपी) और जनसंख्या जैसी विशेषताओं की तुलना में हमारे बैंक क्षेत्र में पिछड़ापन स्पष्ट है।

देश की जीडीपी तथा विश्व के शीर्ष 100 में उसके बैंकों की संख्या



स्रोत: शीर्ष 100 बैंकों के लिये विकिपीडिया और जीडीपी 2019 के लिये आईएमएफ के अनुमान

8

एनबीएफसी सेक्टर में वित्तीय भंगुरता (Financial Fragility in the NBFC Sector)

देवान्धावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः।
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्यथ॥

3.11 (श्रीमद्भगवद्गीता)

संधारणीय प्रणालियों के सृजन के लिये पारस्परिकता और निर्भरता के मूलभूत सिद्धांत की अच्छी समझ अपेक्षित है। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंसिंग सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) की सहायक कंपनियों एवं दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) द्वारा भुगतान में चूक के बाद लिकिवड डेव्ह म्यूचुअल फंड्स (एलडीएमएफ) में निवेशकों ने सापूहिक रूप से अपने निवेश भुगतान किया। वस्तुतः इस चूक के कारण एनबीएफसी-फाइनेंसरों के समग्र समूह में भय फैल गया, जिसके कारण एनबीएफसी सेक्टर में निधीयन (तरलता) संकट उत्पन्न हो गया। इस अध्याय में एनबीएफसी के समक्ष उत्पन्न उन कठिनाइयों पर प्रकाश डाला गया है जो कि लिकिवड डेव्ह म्यूचुअल फंड (एलडीएमएफ) से अल्पावधि बड़े वित्त पोषण पर अत्यधिक निर्भरता से उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार की निर्भरता बहेतर समय में ठीक है, परंतु दबाव के दौरान अल्पावधि वित्त पोषण में रोल ओवर एनबीएफसी के लिये काफी अधिक जोखिमपूर्ण है। परिसंपत्ति पक्ष की ओर का आघात न केवल एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट (एएलएम) की समस्या को बढ़ाता है अपितु एलडीएमएफ में निवेशकों को आशंकित करता है जिसके कारण भुगतान का एक दबाव उत्पन्न होता है जिसकी परिणति ‘बैंक रन’ के रूप में होती है। एडीएमएफ में यह रन की स्थिति एनबीएफसी के लिये पुनः वित्त पोषण (रोल ओवर) के जोखिम को अवक्षेपित करती है। इस कारण परिसंपत्ति पक्ष में उत्पन्न प्रारंभिक कठिनाइयों में बढ़ोतरी होती है। हमने एक गतिशील हेल्थ सूचकांक (हेल्थ स्कोर) तैयार किया है जो इन जोखिमों को दर्शाता है और जिसका प्रयोग एनबीएफसी में तरलता के जोखिम का पूर्वानुमान लगाने के लिये एक पूर्व चेतावनी प्रणाली के रूप में किया जा सकता है। नीति निर्माता इस साधन का प्रयोग एनबीएफसी सेक्टर में वित्तीय संकटता की निगरानी, विनियमन एवं उसको टालने के लिये कर सकते हैं।

- भारत में आभासी (शैडो) बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ऋण दायित्वों में की गई चूक के कारण उत्पन्न हुई इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की दो सहायक कंपनियों ने जून से सितंबर 2018 की अवधि में भुगतान में चूक की, जबकि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) ने जून से अगस्त 2019 की अवधि में भुगतान में चूक की। इन दोनों इकाइयों की अपरिवर्तनीय डिबेंचरों और वाणिज्यिक दस्तावेज़ की बाध्यताओं ने लगभग ₹1500-1700 करोड़ की राशि के भुगतान की चूक की।

- भुगतान की इन चूकों के कारण म्यूचुअल फंडों ने दबाव में चल रही एनबीएफसी की अपने कुल निवेश को कम करने के लिये एनबीएफसी सेक्टर में अपने निवेश की बिक्री करनी प्रारंभ कर दी। ऐसा एक मामला डीएसपी म्यूचुअल फंड का सितंबर 2018 में अत्यधिक छूट पर डीएचएफएल के ₹300 करोड़ के वाणिज्यिक दस्तावेज़ की बिक्री करना था। ऋण वाले म्यूचुअल फंडों के भयग्रस्त निवेशकों ने इन म्यूचुअल फंडों से बड़ी तेजी से अपना निवेश निकालना प्रारंभ कर दिया। आईएल एंड एफएस तथा डीएचएफएल द्वारा चूक का समाचार संयोगवश इसी समय बाजार में आने से सितंबर 2018 एवं जून 2019 में एलडीएमएफ और मुद्रा बाजार से फंडों का सबसे अधिक बहिर्भाग हुआ।
- भुगतान में चूक का समाचार सार्वजनिक होने पर 4 जून, 2019 को ऋण निधियों (डीएचएफएल द्वारा जारी किये गए, ऋण विलेखों) की शुद्ध संपत्ति के मूल्य में, एक दिन में 53 प्रतिशत की गिरावट आ गई थी। ऋण म्यूचुअल फंडों द्वारा दबावयुक्त एनबीएफसी में अपने निवेश को आहरित करने के कारण और अप्रत्याशित उच्च विमोचन (redemption) को पूरा करने के लिये जल्दबाजी में काफी कम कीमतों पर संपत्तियों की बिक्री करने के दोहरे प्रभाव के कारण शुद्ध परिसंपत्ति के मूल्य में यह कमी आई।
- इसलिये ऋण और इक्विटी, दोनों निवेशकों को भुगतान में इस चूक के कारण संपत्ति में काफी घाटा सहन करना पड़ा। क्षितियों की मात्रा का एक अंदाज़ा लेने के लिये, निवेश आईएल एंड एफएस वाले ऋण फंडों को भुगतान में चूक के बाद की वसूली समायोजित करने के पश्चात भी लगभग ₹4000 करोड़ का नुकसान हुआ। ऋण म्यूचुअल फंडों में निरंतर (redemption) होने से वे एनबीएफसी सेक्टर में वित्त पोषण से झिझक रहे थे। इसके परिणामस्वरूप, एनबीएफसी को वित्त जुटाने में कठिनाई हो रही थी, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था में समग्र साख में बढ़ोतरी पर बुरा प्रभाव पड़ा और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी में कमी आ गई।
- घरेलू अर्थव्यवस्था पर तरलता संकट के महत्वपूर्ण प्रभाव को देखते हुए यह जाँच करना लाभदायक होगा कि क्या एनबीएफसी सेक्टर में संकट के पूर्व चेतावनी के कोई संकेत थे। हमने एनबीएफसी सेक्टर में वित्तीय संकट का पता लगाने के लिये एक सूचकांक तैयार किया और यह पाया कि इसकी सहायता से हम एनबीएफसी फर्मों के समक्ष आ रही बाधा वित्त पोषण की बाधाओं (या पुनः वित्त पोषण जोखिम) का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। हम इस सूचकांक को हेल्थ स्कोर कहते हैं, जिसकी रेंज -100 से +100 तक उच्चतर स्कोर फर्म/सेक्टर लाइबिलिटी मैनेजमेंट (एएलएम) की समस्याओं, अल्पावधि थोक निवेश (वाणिज्यिक पत्र) पर अत्यधिक निर्भरता और एनबीएफसी के

निजीकरण और धन सृजन (Privatization and Wealth Creation)

मुक्त उद्यम ने मनुष्य की रचनात्मकता और अर्जनशीलता की तीव्र इच्छाओं को इस रूप में अभिव्यक्त करने के लिये सक्षम बना दिया है जो समाज के सभी लोगों को लाभान्वित करता है। अब मुक्त उद्यम को संघर्ष करने वें, अपने लिये नहीं, बल्कि उन सभी के लिये जो स्वतंत्रता में आस्था रखते हैं।


—मार्गरिट थैचर

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में सामरिक विनिवेश के हाल के अनुमोदन ने बीपीसीएल के शेयरधारकों की इक्विटी के मूल्य में ₹33,000 करोड़ की वृद्धि में मुख्य भूमिका निभाई। यह बीपीसीएल की दक्षता में अहम सुधारों से प्रत्याशित लाभ सहित कंपनी के कुल मूल्य में वृद्धि दर्शाता है, जब इसकी एचपीसीएल से तुलना की जाती है, जो सरकार के नियंत्रणाधीन बनी रहेगी। इसलिये यह अध्याय भारतीय परिप്രेक्ष्य में निजीकरण से साधित (realized) दक्षता लाभ की जाँच करने का प्रयास करता है। यह 11 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के पूर्व-पश्चात् निष्पादन का विश्लेषण करता है, जिनमें 1999-2000 से 2003-04 तक कार्यनीतिक (strategic) विनिवेश किया गया है। अंतर-में-अंतर (difference-in-difference) कार्यप्रणाली का उपयोग करते हुए सावधानीपूर्वक तुलना करने के लिये इन सीपीएसई की तुलना समान उद्योग समूह में समकक्ष कंपनियों से की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण दर्शाता है कि निजीकृत सीपीएसई की निवल संपत्ति, शुद्ध लाभ और परिसंपत्तियों पर लाभ निजीकरण के पश्चात् अवधि में औसतन काफी बढ़ा है। इस अवधि के दौरान इन सीपीएसई ने अपनी समकक्ष कंपनियों से औसतन कहीं बेहतर निष्पादन भी किया है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि परिसंपत्तियों पर लाभ (Returns on Asset – RoA) समकक्ष कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए नकारात्मक से सकारात्मक में परिवर्तित हुआ है, जो यह दर्शाता है कि निजीकृत सीपीएसई समान संसाधनों से अधिक धन जुटाने में सफल रहे हैं। कर्मचारियों की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है, चूँकि निजीकरण की अवधि के पश्चात् प्रति कर्मचारी सभी परिवर्ती कारकों जैसे प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ, प्रति कर्मचारी सकल राजस्व और प्रति कर्मचारी निवल संपत्ति में वृद्धि हुई है। निष्पादन में यह सुधार प्रत्येक सीपीएसई में व्यक्तिगत रूप से भी लागू होता है। आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि सीपीएसई की कार्यनीतिक बिक्री के माध्यम से विनिवेश इन उपक्रमों को निवल संपत्ति, लाभप्रदता, विक्रय वृद्धि, दक्षता और अपने हितधारकों को लाभ देने की शर्तों पर बेहतर निष्पादन द्वारा प्रदर्शित संपत्ति सृजन के सामर्थ्य के द्वारा खोल देता है। इसलिये यह अध्ययन आक्रामक विनिवेश के विषय को आधार प्रदान करता है।

- नवंबर 2019 में भारत ने एक दशक से अधिक समय में अपना सबसे बड़ा निजीकरण अभियान शुरू किया। चुनिंदा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSCs) में भारत सरकार के प्रदत्त पूँजी भाग को 51% से कम करने के लिये सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। चुनिंदा सीपीएसई

में से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में सरकार की 53.29% शेयरधारिता के सामरिक विनिवेश (Strategic Disinvestment) को मंजूरी दे दी गई। नीचे दिये गए चित्र में अपनी समकक्षी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की तुलना में बीपीसीएल का शेयर मूल्य दर्शाया गया है। यहाँ सितंबर 2019 से बीपीसीएल और एचपीसीएल के मूल्यों में अंतर पर ध्यान केंद्रित किया गया है। चित्र में दर्शाया गया है कि एचपीसीएल और बीपीसीएल के शेयर मूल्यों की सितंबर तक एक समान गति थी। तथापि, बीपीसीएल के विनिवेश की घाषणा के पश्चात् उनके शेयर मूल्यों में विचलन आरंभ हुआ। समान अवधि में बीपीसीएल के शेयर मूल्य में वृद्धि की तुलना जब एचपीसीएल के मूल्य में परिवर्तन से की जाती है तो बीपीसीएल के शेयरधारिता इक्विटी के मूल्य में लगभग ₹33,000 करोड़ की वृद्धि दिखाई देती है। चूँकि समान अवधि के दौरान कर्मचारियों और ऋणदाताओं सहित अन्य शेयरधारकों के मूल्यों (value) में बदलाव की कोई सूचना नहीं मिली, इसलिये ₹33,000 करोड़ की वृद्धि, बीपीसीएल के समग्र कंपनी मूल्य में स्पष्ट वृद्धि और जिसके चलते राष्ट्रीय संपत्ति में समान राशि की वृद्धि दर्शाती है।

बीपीसीएल और एचपीसीएल के शेयर मूल्यों की तुलना



स्रोत: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE)

- चूँकि शेयर बाजार किसी कंपनी के वायदा नकदी प्रवाह के मौजूदा मूल्य को प्रदर्शित करता है, मूल्य में वृद्धि बीपीसीएल की दक्षता में सुधार से प्रत्याशित लाभ प्रकट करती है जब उसकी तुलना एचपीसीएल से की गई, जो सरकार के नियंत्रणाधीन रहेगी। रणनीतिक विनिवेश का मार्गदर्शन आधारभूत अर्थिक सिद्धांत द्वारा किया जाता है कि सरकार को विनिर्माण/माल उत्पादन और सेवा क्षेत्रों में अपनी संलिप्तता समाप्त

क्या भारत की जीडीपी वृद्धि को बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया जाता है? नहीं!

(Is India's GDP Growth Overstated? No!)

“सहसंबंध अंधविश्वास का आधार है जबकि कार्य-कारण संबंध विज्ञान का मूलधार है।”

-अज्ञात

चूंकि अर्थव्यवस्था में निवेश करने वाले देश की जीडीपी वृद्धि को ध्यान में रखते हैं अतः यदि इसके परिणाम के विषय में किसी प्रकार की अनिश्चितता हो तो ऐसे निवेश की मात्रा भी प्रभावित हो सकती है। इसलिये, वर्ष 2011 में भारत की जीडीपी के प्राक्कलन की पद्धति में बदलावों के उपरांत भारत की जीडीपी वृद्धि दर को लेकर हालिया बहस का महत्व, विशेष रूप से विकास दर में हालिया मंदी को देखते हुए, बढ़ जाता है। एक सतर्क सांख्यिकीय और अर्थमितीय विश्लेषण का उपयोग करते हुए, ताकि इस विषय के महत्व को उचित न्याय मिल सके, यह अध्याय ऐसा कोई प्रमाण इस विषय में नहीं पाता कि भारत की जीडीपी वृद्धि का गलत प्राक्कलन किया जाता है। अध्याय की शुरुआत इस आधार-वाक्य से होती है कि विश्व के देशों में प्रत्यक्षतः और अप्रत्यक्षतः अनेक तरह की पारस्परिक भिन्नताएँ होती हैं। अतएव, ऐसी अंतर्निहित भिन्नताओं से उत्पन्न होने वाले अनेक चौंकाने वाले कारकों की वजह से, विभिन्न देशों की तुलना करने में गलत अनुमिति के जोखिम भी होंगे। फलतः देशों के बीच परस्पर विश्लेषण का कार्य सावधानीपूर्वक करना होगा ताकि सहसंबंध और कार्य-करण संबंध को अलग-अलग रखा जा सके। जो प्रतिमान वर्ष 2011 के बाद भारत के बारे में 2.77 प्रतिशत तक जीडीपी वृद्धि का गलत तरीके से अति-प्राक्कलन करते हैं वही, हमारे निवेशों/मॉडल में शामिल 95 देशों में से 51 के बारे में भी समान अवधि के दौरान जीडीपी वृद्धि के गलत प्राक्कलन प्रस्तुत करते हैं। त्रुटिपूर्ण ढंग से विनिर्दिष्ट मॉडल में गलत-प्राक्कलन का यह परिणाम +4 प्रतिशत से लेकर -4.6 प्रतिशत तक की सीमा में है, जिसके अंतर्गत यूके का +1.6 प्रतिशत तक, जर्मनी का +1.0 प्रतिशत तक, सिंगापुर का -2.3 प्रतिशत तक, दक्षिण अफ्रीका का -1.2 प्रतिशत तक और बेल्जियम का -1.3 प्रतिशत तक गलत प्राक्कलन शामिल है। भारत की अपेक्षा यूके और जर्मनी की कम वृद्धि दर को देखते हुए त्रुटिपूर्ण विनिर्दिष्ट मॉडल में भारत (40 प्रतिशत) की अपेक्षा यूके (76 प्रतिशत) और जर्मनी (71 प्रतिशत) के लिये प्रतिशतता का दोषपूर्ण आकलन कहीं अधिक है। तथापि, जब विभिन्न देशों की समस्त अप्रत्यक्ष परस्पर भिन्नताओं को तथा देशों के बीच जीडीपी वृद्धि में विभेदी रुझानों (प्रवृत्तियों) को सम्मिलित करते हुए इन प्रतिमानों के आधार पर प्राक्कलनों की त्रुटि को सुधारा जाता है, तो इन 52 देशों (भारत सहित) में से अधिकांश की

जीडीपी वृद्धि न तो अति-प्राक्कलित है और न ही अल्प-प्राक्कलित दिखाई देती है। कुल मिलाकर, भारत की जीडीपी को लेकर अति-प्राक्कलन संबंधी चिंताएँ निराधार हैं।

परिचय (Introduction)

- वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिये एक सुदृढ़ निवेश वातावरण तैयार किया जाना अति आवश्यक है। वर्ष 2018-19 की आर्थिक समीक्षा में, मांग बढ़ाने, क्षमता निर्माण करने, नई प्रौद्योगिकी अपनाने, रचनात्मक विध्वंस की अनुमति देने और रोजगार सृजन करने की भूमिका का उल्लेख किया गया था। निःसंदेह, भारतीय अर्थव्यवस्था को एक लाभकारी व्यवस्था में ढालने की प्रक्रिया में निवेश का स्थान सबसे ऊपर है।
- वर्तमान में, चाहे एफडीआई मानकों को शिथिल करने, कॉर्पोरेट कर की दरों में कटौती करने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, व्यवसाय में सुगमता लाने की बात हो या फिर कराधान संबंधी सुधारों की बात हो, भारत ने निवेश बढ़ाने के लिये अनेक प्रकार की पहल की है। निवेशक, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी शामिल हैं, भारत में एक विशेष अवसर देखते हैं क्योंकि यह विश्व में तेजी से विकसित हो रही विशाल अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर निवेश संबंधी निर्णयन का एक पूर्ववर्ती प्रेरक तत्व है। इसके अलावा, किसी भी देश की जीडीपी का स्तर और उसकी वृद्धि दर अर्थव्यवस्था के आकार और स्वास्थ्य के लिये बैरोमीटर का कार्य करते हुए अनेक महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों को अनुप्राणित करने का कार्य करती है।
- भारत में जीडीपी वृद्धि दर शुद्धता से प्राक्कलित की जाती है या नहीं, इस विषय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर खूब चर्चा हुई है चूंकि भारत की जीडीपी वृद्धि दरों की सत्यता के बारे में न केवल निवेशकों बल्कि नीति-निर्माताओं में चिंताएँ भी बढ़ सकती हैं अतः यह आवश्यक है कि इस विषय की एक सतर्कतापूर्ण जाँच की जाए। हाल की तिमाहियों के दौरान जीडीपी वृद्धि दर की गिरावट को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए ऐसी परीक्षा किया जाना महत्वपूर्ण है। यदि निवेशक, गलती से ही सही, किसी निम्नतर वृद्धि दर पर किसी ‘बट्टे’ के लिये आवेदन करें तो इससे निवेशक-भावना पर वास्तव में प्रभाव पड़ सकता है।

11

थालीनॉमिक्सः भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र (Thalinoconomics : The Economics of a Plate of Food in India)

उपनःपितवाचरशिवःशिवाभिस्तिभिः ।

मयोभुद्विषेण्यःसखासुशेवोअद्व्याः ॥

आओ पास हमारे, आओ, हे भोज्य! हे मंगल-धन्य सहायक!

आरोग्यदायी, अनिर्दय, हे प्रिय और निश्छल स्नेही आओ।

-ऋचेद

हालाँकि अर्थव्यवस्था का जन साधारण के जीवन पर ठोस प्रभाव पड़ता है किंतु इस तथ्य पर लोगों का ध्यान कम जाता है। अर्थशास्त्र को जनसाधारण के जीवन से जोड़ने का भोजन की थाली, एक ऐसी वस्तु जिससे उसका सामना प्रतिदिन होता है, से अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? थालीनॉमिक्सः भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र भारत में एक सामान्य व्यक्ति द्वारा एक थाली हेतु किये जाने वाले भुगतान के मापन का एक प्रयास है। क्या थाली की वहनीयता कम हुई है या बढ़ी है? क्या थाली सस्ती हुई है या महंगी? क्या शाकाहारी थाली और मांसाहारी थाली दोनों के लिये मुद्रास्फीति समान रही है? क्या भारत के अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में थाली के मूल्य में मुद्रास्फीति भी अलग-अलग रही है? थाली के मूल्य में परिवर्तन किस घटक-अन्न, दाल, सब्जियाँ अथवा भोजन पकाने में उपयोग किये जाने वाले ईंधन-के मूल्य परिवर्तित होने के कारण हुआ है? यह ऐसे प्रश्न हैं जो लुटियन दिल्ली अथवा देश के अंदरूनी हिस्से में सड़क किनारे के ढाबे में गति भोजन पर संवाद का विषय बन सकते हैं। इनका उत्तर अब दिया जा सकता है और ‘स्वस्थ’ बहस में कोई भी पक्ष लिया जा सकता है। भारतीयों के लिये दैनिक आहार से संबंधित दिशा-निर्देशों (राष्ट्रीय पोषण संस्थान, 2011) की सहायता से थाली के मूल्य का परिकलन किया गया है। इस हेतु अप्रैल 2006 से अक्टूबर 2019 की अवधि में 25 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लगभग 80 केंद्रों से, उद्योगों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मासिक कीमतों के आँकड़ों का उपयोग किया गया। संपूर्ण भारत के साथ-साथ इसके चारों क्षेत्रों- उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में हमने पाया कि शाकाहारी थाली के मूल्य में वर्ष 2015-16 में काफी कमी हुई है, हालाँकि 2019 में इसके मूल्य में कुछ वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप एक परिवार, जिसमें दो शाकाहारी थालियों का भोजन प्रतिदिन करने वाले पाँच सदस्य हैं, को उसके लिये औसतन लगभग ₹ 10887 प्रतिवर्ष की लाभ प्राप्ति जबकि मांसाहारी थाली में औसतन प्रतिवर्ष ₹ 11787 की लाभ प्राप्ति हुई है। एक औसत औद्योगिक श्रमिक की वार्षिक आय से यह ज्ञात होता है कि वर्ष 2006-07 से वर्ष 2019-20 की अवधि में शाकाहारी थाली की वहन क्षमता में 29 प्रतिशत का सुधार हुआ है जबकि मांसाहारी थाली में 18 प्रतिशत का सुधार हुआ है।

परिचय (Introduction)

- हालाँकि अर्थशास्त्र हम में से प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है किंतु इस तथ्य पर साधारण पुरुष या महिला किसी का भी ध्यान अक्सर नहीं जाता है। अर्थशास्त्री संभवतः स्वयं ही इस रिक्ति के लिये उत्तरदायी हैं व्याख्याति प्रसरण-विषमता पर गंभीर और तकनीकी संवाद सबसे मेहनती तथा मेधावी व्यक्ति को भी डरा सकते हैं। क्या हम अर्थव्यवस्था को जनसाधारण के दैनिक जीवन से जोड़ सकते हैं? भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के कुहनी का व्यावहारिक अर्थशास्त्र (Behavioural Economics of Nudge) के अध्याय के द्वारा मानव को स्वार्थी स्वचालित मशीन की बजाय मानव के रूप में समझने का नम्र प्रयास किया गया है, ताकि जनसाधारण उसकी विशिष्टताओं से अपने आपको जोड़ सके और उस सुगम स्पेक्ट्रम का प्रयोग व्यावहारिक परिवर्तन को समझने के लिये आर्थिक नीति के एक उपकरण के रूप में कर सके। अर्थशास्त्र को जनसाधारण से जोड़ने के इस विनम्र प्रयास को जारी रखने का थाली जैसी वस्तु, जिससे उसका सामना प्रतिदिन होता है, के उपयोग से बेहतर तरीका क्या हो सकता है?
- ‘थालीनॉमिक्सः भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र’ एक ऐसा प्रयास है जिसमें यह परिकलन किया गया है कि भारत में पौष्टिक थाली के लिये आम आदमी को कितना खर्च करना पड़ता है। चूँकि जीवन के लिये भोजन आवश्यक होता है इसलिये थाली की तेजी से बढ़ती कीमत का प्रभाव सीधे आम आदमी (जनसाधारण) पर पड़ता है तथा इसे सुस्पष्ट रूप से देखा भी जा सकता है। वास्तव में खाद्य वस्तुएँ तथा पेय पदार्थ उपभोक्ता मूल्य - सूचकांक संयुक्त (CPI-C) का 45.9 प्रतिशत भाग होते हैं। इसलिये सबसे प्रभावी विधि जिसके द्वारा जन साधारण को मूल्यों की प्रवृत्ति के विषय में समझाया जा सकता है वह यह है कि घर में तैयार की जाने वाली संपूर्ण भोजन की भारतीय थाली में कितना खर्च आता है, के द्वारा यह बात स्पष्ट की जाए।
- भारत की विविधता के कारण, यहाँ पकने वाले भोजन में भी विविधता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की खाद्य वस्तुओं को पकाया जाता है। इनमें विविध सब्जियाँ, अन्न, फल और मसालों का स्वादिष्ट मिश्रण है जिनकी उपज देश के विभिन्न स्थानों पर होती है। भारत के पंपंपरागत पौष्टिक आहार में अन्न और सब्जियों के साथ-साथ मछली, मांस और अंडों का स्वस्थ मिश्रण रहा है। यहाँ 25 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के लिये ‘थाली’ के मूल्य का परिकलन किया है जिसमें अन्न (चावल या गेहूँ), सब्जी (सब्जियाँ और अन्य घटक), दाल (दाल के साथ-साथ अन्य घटक) और इसके साथ-साथ उस ईंधन की लागत सम्मिलित की गई है जिसका उपयोग घरों में भोजन पकाने के लिये किया जाता

1

अर्थव्यवस्था की स्थिति (State of the Economy)


वर्ष 2019 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिये एक कठिन वर्ष था जहाँ वर्ष 2009 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद विश्व की उत्पादन वृद्धि दर 2.9 प्रतिशत की अपनी सबसे मंद गति पर प्राकलित की गई जोकि वर्ष 2018 में 3.6 प्रतिशत और वर्ष 2017 में 3.8 प्रतिशत की नियंत्रित दर से और नीचे आ गई। इतनी गिरावट होने पर भी, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका की संरक्षणवादी प्रवृत्तियाँ और अमेरिका-ईरान के बीच भू-राजनीतिक तनावों के कारण अभी भी अनिश्चितताएँ उच्च स्तर पर बनी हुई हैं। वैश्विक विनिर्माण, व्यापार और मांग के लिये कमज़ोर परिवेश के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में मंद होकर 4.8 प्रतिशत पर आ गई जोकि वर्ष 2018-19 की द्वितीय छमाही की 6.2 प्रतिशत से कम है। वास्तविक उपभोग की धीमी वृद्धि से प्रेरित वास्तविक निश्चित निवेश में तीव्र गिरावट से वर्ष 2018-19 की द्वितीय छमाही से वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही के दौरान जीडीपी वृद्धि में गिरावट की स्थिति उत्पन्न हुई है। हालाँकि, सरकारी अंतिम उपभोग में पर्याप्त वृद्धि के सहारे, वर्ष 2019-20 की द्वितीय तिमाही में वास्तविक उपभोग वृद्धि की भरपाई हुई है। साथ-ही-साथ भारत के वैदेशिक क्षेत्र में वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में और स्थिरता आई है, जहाँ चालू खाता घाटा (सीईडी) वर्ष 2018-19 में जीडीपी के 2.1 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में 1.5 प्रतिशत पर आ गया है, प्रभावी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) हुआ है, पोर्टफोलियो प्रवाहों की बहाली हुई है और विदेशी मुद्रा भंडारों में वृद्धि हुई है। कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में राहत से वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में आयातों में कमी आई है और नियातों में तेजी से वृद्धि हुई है जो मुख्यतः चालू खाता घाटा (सीईडी) में संकुचन के फलस्वरूप संभव हुआ है। आपूर्ति पक्ष के संदर्भ में कृषि वृद्धि दर के कमज़ोर रहने के बावजूद, यह वृद्धि दर वर्ष 2018-19 की द्वितीय छमाही की तुलना में वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में थोड़ी-सी ऊपर रही है। खाद्य महांगाई में अस्थायी वृद्धि के कारण शीर्ष मुद्रास्फीति वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में 3.3 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर दिसंबर, 2019 में 7.4 प्रतिशत हो गई, जिसके वर्ष के अंत तक नीचे आने की प्रत्याशा है। दिसंबर 2019 में सीपीआई-मूल और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति का बढ़ना मांग-दबावों के बढ़ने का संकेत है।

जीडीपी वृद्धि में मंदन को वास्तविक क्षेत्र पर अवरोध का कार्य करने वाले वित्तीय क्षेत्र से युक्त मंदवृद्धि चक्र की रूपरेखा के अंतर्गत समझा जा सकता है। मांग बढ़ाने के प्रयास के तहत, वर्ष 2019-20 में मौद्रिक नीति में काफी राहत दी गई है और आरबीआई द्वारा रेपो दर में 110 आधार बिंदुओं की कटौती की गई है। अर्थव्यवस्था में वित्तीय दबावों को स्त्रीकार करते हुए सरकार ने दिवाला और शोधन अक्षमता सहित (आईबीसी) के तहत दिवालियापन समाधान प्रक्रिया को गति प्रदान करने तथा विशेष रूप से संकटग्रस्त रियल एस्टेट और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) क्षेत्रों के

लिये साख व्यवस्था में राहत प्रदान करने की दिशा में इस वर्ष अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2019-20 के लिये भारत की 5 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि के प्रथम अग्रिम प्राकलिन के आधार पर यह आशा की जा सकती है कि वर्ष 2019-20 की द्वितीय छमाही में जीडीपी की वृद्धि दर बढ़ेगी।

2019-20 में वैश्विक अर्थव्यवस्था (Global Economy in 2019-20)


- आईएमएफ द्वारा प्रकाशित जनवरी 2020 के 'द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' (डब्ल्यूआई) में वर्ष 2019 में वैश्विक उत्पादन में वृद्धि दर 2018 के 3.6 प्रतिशत और वर्ष 2017 के 3.8 प्रतिशत से गिरकर 2.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2019 में वैश्विक उत्पादन में वृद्धि दर, वर्ष 2009 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सबसे धीमी रहने का अनुमान है जोकि विनिर्माण संबंधी गतिविधियों और व्यापारिक कार्यकलापों में भौगोलिक रूप से आई व्यापक गिरावट से उत्पन्न हुई है। अमेरिका तथा चीन के बीच स्थिर प्रायः लेकिन अनिश्चित/व्यापारिक तनाव भी वैश्विक उत्पादन और व्यापार में आई गिरावट के तिये ज़िम्मेदार हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर, जो वर्ष 2017 में 2.5 प्रतिशत थीं, वर्ष 2018 में घटकर 2.2 प्रतिशत हो गई और वर्ष 2019 में इसके और कम होकर 1.7 प्रतिशत तक जाने का अनुमान है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) देशों के समूह ने भी अपनी वृद्धि दर में वर्ष 2017 के 2.6 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018 में 2.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है। वर्ष 2019 में इसके 1.7 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूआई) ने वर्ष 2020 में वैश्विक उत्पादन की घटती वृद्धि दर को मामूली वृद्धि के साथ 3.3 प्रतिशत हो जाने का पूर्वानुमान लगाया है।



स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अक्टूबर 2019 डाटाबेस तथा जनवरी 2020 अपडेट
नोट: एई: उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ, ईएमडीई: उभरते बाजार और विकासोनुसुख अर्थव्यवस्थाएँ, ईडीए: उदीप्यमान तथा विकासशील एशिया

यह वर्ष 2019-20 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये चुनौतीपूर्ण रहा है, जिसका कारण वर्ष के पूर्वार्द्ध में अनुभव की गई विकास दर की कमी है। वर्ष के दौरान संवृद्धि और निवेश के प्रोत्साहन के लिये किये गए विविध सुधारों में प्रमुख संरचनात्मक सुधार कॉर्पोरेट आयकर दर में कमी करना था। राजकोषीय नीति 2019-20 की विशेषता बजट अनुमान की तुलना में कर राजस्व में मंद गति से वृद्धि रही है। गैर-कर राजस्व ने इस वित्तीय वर्ष के आरंभिक आठ माह में विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में काफी उच्च वृद्धि दर्ज की है। व्यय की तरफ देखें तो अप्रैल से नवंबर 2019-20 के दौरान कुल व्यय काफी गति से बढ़ा, जिसमें पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान दर्ज की गई वृद्धि से लगभग तीन गुना वृद्धि हुई। बजट घाटे में राजकोषीय घाटे का प्रतिशत इस वित्त वर्ष के प्रथम आठ माह के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि के स्तर पर बनाए रखा गया है। सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में संवृद्धि को पुनः बढ़ाने की प्राथमिकता को देखते हुए, वर्तमान वर्ष में राजकोषीय घाटे में लक्ष्य बदलना पड़ सकता है।

- वैशिक स्तर पर शिथिल संवृद्धि तथा व्यापार में तनाव के बढ़ने के बीच जुलाई 2019 में प्रस्तुत बजट 2019-20 ने समिटि आर्थिक स्थिरता (macro economic stability) सहित, संवृद्धि के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की।
- बजट 2019-20 के साथ प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय नीति (एमटीएफपी) विवरण में 2019-20 के लिये राजकोषीय घाटा लक्ष्य जीडीपी का 3.3 प्रतिशत आँका गया था, जिसके आगे भी धीमी गति से कम होते हुए 2020-21 में जीडीपी के 3 प्रतिशत लक्षित स्तर प्राप्त करने की और 2021-22 तक इसी स्तर पर रहने की अपेक्षा थी। आगे यह भी अनुमानित था कि केंद्र सरकार की देयताएँ (liabilities) 2019-20 में के 48.0 प्रतिशत तक आ जाएंगी। यह संभावित था कि केंद्र सरकार के ऋण की दर में गिरावट वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में क्रमशः जीडीपी के 46.2 प्रतिशत एवं 44.4 प्रतिशत की दर से सतत जारी रहेंगी। ऋण में गिरावट का यह स्वरूप स्थिर मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटे में कमी के अनुमान पर आधारित है। एमटीएफपी (जुलाई 2019) में प्रस्तुत घाटे और ऋण के राजकोषीय संकेतक देखे जा सकते हैं।



केंद्र सरकार के वित्त साधन (Central Government Finances)

- राजकोषीय समेकन (Fiscal consolidation) के मार्ग पर प्रशस्त होते हुए, संघीय बजट 2019-20 राजकोषीय घाटे को ₹ 7,03,760 करोड़ अर्थात् जीडीपी का 3.3 प्रतिशत तक सीमित रखने का प्रयास करता है, जो सरकार की कुल उधार लेने की अपेक्षाओं से प्रतिबिंबित है। यह 2018-19 के अन्तिम वास्तविक आँकड़ों (Provisional Actuals – PA) में जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है। राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात, मोटे तौर पर, सरकार के चालू व्यय के वित्त पोषण के लिये उधार की मात्रा का मापन करता है। 2019-20 बजट अनुमान में यह मोटे तौर पर 2018-19 अन्तिम वास्तविक के ही स्तर पर आँका गया है।
- केंद्र सरकार के वित्त साधनों में प्रमुख परिवर्तन कर जीडीपी अनुपात में सुधार तथा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्राथमिक घाटे में कमी है।

प्राप्तियों में रुझान (Trends in Receipts)

- मोटे तौर पर केंद्र सरकार की प्राप्तियों को ऋण और ऋण भिन्न प्राप्तियों में विभाजित किया जाता है। ऋण भिन्न प्राप्तियों में कर और कर-भिन्न राजस्व तथा ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियाँ, जैसे ऋणों की वसूली और विनिवेश से प्राप्तियाँ शामिल हैं। ऋण प्राप्तियाँ में अधिकांशतः बाजार उधार और अन्य देनदारियाँ शामिल हैं, जिन्हें सरकार को भविष्य में चुकाना पड़ता है। बजट 2019-20 में केंद्र सरकार ने ऋण-भिन्न प्राप्तियों की काफी उच्च वृद्धि दर को रखा था, जिसका कारण निवल कर राजस्व (Net Tax Revenue) और गैर-कर राजस्व (Non-Tax Revenue) में उच्च वृद्धि दर की आशा थी।

3

वैदेशिक क्षेत्र (External Sector)

भारत के वैदेशिक क्षेत्र में वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में भुगतान शेष (*Balance of Payments*) की स्थिति में सुधार को देखते हुए स्थिरता प्राप्त हुई है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (*Foreign Reserves*) 10 जनवरी, 2020 तक 461.2 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुँच गया। भुगतान संतुलन (बीओपी) में यह सुधार चालू खाता घाटा (*सीएडी*) के सीमित होने के कारण वर्ष 2018-19 में 2.1 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में जीडीपी का 1.5 प्रतिशत हो गया। चालू खाता घाटे में संकुचन कच्चे तेल की कीमतों में सुधार के कारण हुआ है। सेवा आयात में वृद्धि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (*एफडीआई*) में बढ़ोतरी तथा 'मेक इन इंडिया' के कारण अपरिहार्य है। पेट्रोलियम उत्पाद, बहुमूल्य पत्थर, औषधीय फार्मूले एवं जैविक मद्दें, स्वर्ण एवं अन्य कीमती धारुएँ निर्यातित वस्तुओं में शीर्ष पर बनी हुई हैं, जिनमें से औषधीय फार्मूलों एवं जैविक मद्दों के संबंध में वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) में सबसे तेज वृद्धि देखी गई है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम, स्वर्ण, पेट्रोलियम उत्पाद (*Petroleum Products*), कोयला, कोक एवं ब्रिकेट शीर्षस्थ आयातित वस्तु-समूह में हैं और वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) में इलेक्ट्रोनिकी के संबंध में सबसे तेज वृद्धि देखी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूएई, सऊदी अरब और हॉन्स-कॉन्ना भारत के शीर्ष पांच व्यापारिक साझेदार बने हुए हैं। साथ ही भुगतान संतुलन में सुधार के लिये वैदेशिक वित्तीय दशाओं में राहत, एफडीआई में प्रभावी वृद्धि, पोर्टफोलियो प्रवाहों की पुनः सुदृढ़ता तथा धनप्रेषणों की बड़ी प्राप्तियों का भी योगदान है। वर्ष 2019-20 में निवल एफडीआई अंतःप्रवाह भी उत्साहवर्द्धक रहे हैं जिनमें प्रथम आठ महीनों में 24.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्त हुई है, जो कि वर्ष 2018-19 की संगत अवधि की तुलना में उच्चतर है। यह वैश्विक स्तर पर उस भावना को परिलक्षित करता है कि भारत की विकास गाथा और सरकार द्वारा किये गए सुधारात्मक उपायों पर भरोसा बढ़ा है। सितंबर 2019 के अंत में विदेशी ऋण, जीडीपी के 20.1 प्रतिशत के निचले स्तर पर बना हुआ है। वर्ष 2018-19 की तुलना में जीडीपी अनुपात की दृष्टि से भारत की निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (एनआईआईपी) में भी सुधार हुआ है। वर्ष 2014-15 से ही काफी गिरावट देखने के बाद जून 2019 के अंत में जीडीपी के संदर्भ में भारत की वैदेशिक देयताओं (ऋण एवं इक्विटी) में वृद्धि हुई है जिसके लिये मुख्य कारकों के रूप में एफडीआई में वृद्धि, पोर्टफोलियो प्रवाहों और वैदेशिक वाणिज्यक उदारियों (ईसीबी) का उल्लेख किया जा सकता है।

भारत का 'भुगतान-संतुलन' (India's Balance of Payments)

- 2014-19 के दौरान 7.5 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के लगभग साथ-साथ, भारत की 'भुगतान शेष' स्थिति में सुधार हुआ है।

यह सुधार वित्त वर्ष 2018-19 की समाप्ति तक सचित विदेशी मुद्रा भंडार के 412.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने के कारण हुआ है जोकि वित्त वर्ष 2013-14 के अंत तक केवल 304.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत जैसी खुली व बढ़ती हुई बाजार अर्थव्यवस्था के लिये 'भुगतान-संतुलन' की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कच्चे तेल और इस तरह के अन्य आदानों के लिये आवश्यक आयातों के वित्तपोषण को सुनिश्चित करता है, विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करता है जो देश के करोड़ों लोगों को आजीविका प्रदान करता है। एक ऐसे देश के लिये जो लगभग हमेशा चालू खाता घाटे की स्थिति में रहा है, जहाँ अपनी आय के स्रोत में विदेशी निवेश द्वारा उतनी प्राप्ति नहीं होती जितनी कि विदेशों को भुगतान के माध्यम से चली जाती है। बीओपी (Balance of Payment) की स्थिति में लगातार सुधार होना एक ऐसी वैश्विक भावना का प्रतिविवं है जो भारत की विकास गाथा में विश्वास को सुदृढ़ करता है। यह विश्वास देश को उस वक्त अच्छी गति प्रदान करेगा जब यह 5 दिलियन यूएस डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिये निवेश संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु विदेशी बचतों के प्रयोग में वृद्धि करने के बारे में सोचेगा।

- वर्ष 2019-20 में जीडीपी वृद्धि में काफी गिरावट के बावजूद वैश्विक भावना सकारात्मक ही रही है। इस दौरान भुगतान शेष में सुधार हुआ है। मार्च 2019 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 412.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो सितंबर 2019 में बढ़कर 433.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा 10 जनवरी, 2020 को 461.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। किंतु अभी भी इस सुधार में भेद्यता का अंतर्भाव बना हुआ है। देश की भुगतान-संतुलन स्थिति को सुधारने में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का कमज़ोर होना 'शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेश' (नेट एफडीआई) तथा 'शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेश' (नेट एफपीआई) दोनों के लिये चुनावी देने वाला है। यदि भारत की प्रत्याशित आर्थिक वृद्धि में ऐसे निवेशों की कमी की पृष्ठभूमि बन गई तो भुगतान शेष की स्थिति बिगड़ सकती है जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में विदेशी बचत को देश में लाना अधिक कठिन हो जाएगा।
- भुगतान-शेष के कुछ ऐसे घटक हैं जिनसे वर्ष 2014-19 तथा वर्ष 2019-20 दोनों ही अवधियों में भुगतान-शेष की स्थिति में सुधार हुआ है अथवा बाधाएँ खड़ी हुई हैं। प्रभावी नीतियों के माध्यम से वे घटक जिनसे सुधार हुआ है उन पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा तथा जिन घटकों से बाधाएँ आई हैं उन्हें पुनः क्रियाशील बनाया जाएगा। 2019-20 के आँकड़े अनंतिम हैं।

4

मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता (Monetary Management and Financial Intermediation)

मौद्रिक नीति वर्ष 2019-20 में उदार (Accommodative) बनी रही। धीमी गति से विकास और निम्न मुद्रास्फीति (Inflation) के कारण उक्त वित्त वर्ष में मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee-MPC), की लगातार चार बैठकों में रेपो दर (Repo Rate) में 110 आधार अंकों की कटौती की गई। हालाँकि, दिसंबर 2019 में आयोजित पाँचवीं बैठक में इसे अपरिवर्तित रखा गया। वर्ष 2019-20 में आरंभिक दो महीनों में तरलता संकट (Liquidity Crisis) की स्थिति थी; परंतु बाद में इस स्थिति में सुधार हो गया है। बाबजूद इसके, अर्थव्यवस्था के वित्तीय प्रवाह में विवशताएँ बनी रहीं, क्योंकि बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों (Non-Banking Financial Corporations-NBFCs), दोनों के लिये ही क्रेडिट वृद्धि में गिरावट रही। वर्ष 2019 के मार्च से सितंबर के बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (Scheduled Commercial Bank-SCB) का सकल गैर-नियादक अग्रिम अनुपात (Non Performing Advance Ratio) 9.3 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों के संबंध में यह मासूली वृद्धि के साथ मार्च 2019 में 6.1 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2019 में 6.3 प्रतिशत हो गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की पूंजी से जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (Capital to Risk-weighted Asset Ratio) मार्च 2019 और सितंबर 2019 के बीच 14.3 प्रतिशत से बढ़कर 15.1 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2019-20 के दौरान (16 जनवरी, 2020 तक) निपटी 50 और S & P BSE सेंसेक्स रिकार्ड उच्चतर सीमा पर पहुँचकर क्रमशः 12,355 और 41,952 पर बंद हुआ। पूर्ववर्ती समाधानों की तुलना में आईबीसी (IBC) के अंतर्गत समाधान (Resolution) काफी अधिक रहा। शामिल राशि के प्रतिशत के रूप में बसूल की गई राशि वर्ष 2017-18 में 49.6 प्रतिशत और 2018-19 में 42.5 प्रतिशत थी। आईबीसी के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों में औसतन 340 दिन लगते हैं, जिनमें मुकदमेबाजी (Litigation) में लगा समय भी शामिल है, इसके विपरीत पूर्व व्यवस्था में 4.3 वर्ष लगते थे।

2019-20 के दौरान मौद्रिक घटनाक्रम (Monetary Developments During 2019-20)

- वर्ष 2019-20 के दौरान मौद्रिक नीति का कार्यान्वयन संशोधित सांविधिक (Revised Statutory) रूपरेखा के अधीन किया गया, जो कि 27 जून, 2016 को लागू हुई। जनवरी 2020 के अंत तक, वित्त वर्ष 2019-20 में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पाँच बैठकों का आयोजन किया गया है। प्रथम चार बैठकों में एमपीसी ने मौद्रिक नीति की स्थिति में तटस्थता से उदारता की ओर जाने का बदलाव करते हुए नीतिगत रेपो दर में कटौती करने का निर्णय लिया। इस रेपो दर को अप्रैल 2019 में 6.25 प्रतिशत से अक्टूबर 2019 में 5.15 प्रतिशत पर लाते हुए इसमें 110 आधार अंकों (बीपीएस) की कटौती की गई। एसपीसी का यह निर्णय कम मुद्रास्फीति तथा अर्थव्यवस्था में निजी निवेश (Private Investment) को प्रोत्साहित कर घरेलू विकास को सृदृढ़ करने की आवश्यकता से प्रेरित था।
- दिसंबर 2019 में एमपीसी ने पाँचवें द्विमासिक मौद्रिक नीतिगत विवरण (Bimonthly Monetary Policy Statement) में, बढ़ती हुई उपभोक्ता मूल्यवृद्धि (Consumer Price Inflation) को ध्यान में रखते हुए रेपो दर को 5.15 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। साथ ही, एमपीसी ने प्रभावी मौद्रिक नीतिगत परिवर्तन (Effective Monetary Policy Transmission) होने तक प्रतीक्षा करने के अपने आशय का भी संकेत दिया। रिजर्व बैंक द्वारा किये गए सर्वेक्षणों के साथ-साथ विभिन्न उच्च आवृत्ति संकेतकों (High Frequency Indicators) ने भी घरेलू और बाहरी दोनों ही मांग दशाओं में कमज़ोरी का संकेत किया; अतः वर्ष 2019-20 के लिये वास्तविक जीडीपी अनुमानों को संशोधित कर 5 प्रतिशत तक कम किया गया।

नीतिगत दरों में संशोधन

प्रभावी तारीख	रेपो दर (प्रतिशत)	विपरीत (रिवर्स)	बैंक दर/एमएसएफ दर* (प्रतिशत)	नकद आरक्षित अनुपात (एनडीटीएल का प्रतिशत)	सांविधिक तरलता अनुपात (एनडीटीएल का प्रतिशत)
04-04-19	6.00	5.75	6.25	4.00	19.25
06-06-19	5.75	5.50	6.00	4.00	19.00
07-08-19	5.40	5.15	5.65	4.00	18.75
04-10-19	5.15	4.90	5.40	4.00	18.50**
05-12-19	5.15	4.90	5.40	4.00	18.50
04-01-20	5.15	4.90	5.40	4.00	18.25

स्रोत: आरबीआई

*नोट: एनडीटीएल निवल मांग एवं समय देयता (Net Demand and Time Liabilities)

* बैंक दर को 13 फरवरी, 2012 से सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility-MSF) अर्थात् एमएसएफ की दर के समरूप बनाया गया।

** सांविधिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio-SLR) को विभिन्न चरणों में कम करके 18 प्रतिशत पर लाने के लिये आरबीआई की 5 दिसंबर, 2018 की अधिसूचना देखें।

5

कीमतें और मुद्रास्फीति (Prices and Inflation)

निम्न खाद्य मुद्रास्फीति (*Low Food Inflation*) को मदद से 2014 से मुद्रास्फीति सामान्य दर्ज की गई है। हालाँकि, वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, खाद्य और पेय-पदार्थ संबंधी मुद्रास्फीति में अलग प्रकार से रुज़ान दिख रहा है। मुख्यतः सब्जियाँ, फलों और दालों की कीमत में वृद्धि की मदद से, खाद्य मुद्रास्फीति में ऊर्ध्वमुखी रुज़ान रहा है। हालाँकि, दाल जैसे कुछ अपवाद के साथ अधिकांश कृषि संबंधी अनिवार्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता (*Volatility in Prices*) गिरावट की ओर है। जुलाई 2018 से शहरी सी.पी.आई. मुद्रास्फीति (*CPI-Urban Inflation*), ग्रामीण- सी.पी.आई. मुद्रास्फीति से लगातार ऊँची रही है, जो पहले के रुज़ानों के विपरीत है जहाँ ग्रामीण मुद्रास्फीति, शहरी मुद्रास्फीति से ऊँची रहती थी। अधिकांश राज्यों की मुद्रास्फीति में गिरावट रही है यद्यपि मुद्रास्फीति में परिवर्तनशील (*Variability*) बढ़ रही है। 2012 से स्फीति की गतिकी (*Dynamics*) में परिवर्तन हुआ है। इस बात के सबूत भी हैं कि हेडलाइन मुद्रास्फीति (*Headline Inflation*) कोर स्फीति (*Core Inflation*) के स्तर पर पहुँच गई है। मुद्रास्फीति का संचरण (*Transmission of Inflation*) गैर-प्रमुख घटकों से प्रमुख घटकों की तरफ न्यून रहा है।

परिचय (Introduction)

- विगत पाँच दशकों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति में तीव्र गिरावट (Steep Decline) देखी गई है (विश्व बैंक, 2019)। विश्व के लगभग सभी देशों में मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की गई। इसी अवधि में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं (Emerging Market Economies) ने भी मुद्रास्फीति में गिरावट का अनुभव किया। उभरते हुए बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था में 1993 में मुद्रास्फीति 118.7 प्रतिशत के साथ शिखर पर थी और तत्पश्चात 2018 में

गिरकर 4.8 प्रतिशत पर आ गई (वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक, अक्टूबर 2019)। मुद्रास्फीति में तीव्र गिरावट के कई सहायक कारण हो सकते हैं, जैसे- समायोजनशील मौद्रिक (*Resilient Monetary*) और राजकोषीय (*Fiscal*) नीति ढाँचा स्वीकार्यता; श्रम और उत्पाद बाजार में संरचनात्मक सुधार, जो प्रतिस्पर्धा को मजबूती दें और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (*Inflation Targeting*) के लिये मौद्रिक नीति ढाँचा (*Monetary Policy Framework*) को अपनाना। 1990 के दशक के उत्तरार्ध से चौबीस उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिये मौद्रिक नीति ढाँचा का सूत्रपात किया है (विश्व बैंक, 2019)। भारत ने पाँच वर्षों की अवधि के लिये 5 अगस्त, 2016 को मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का सूत्रपात किया, जो 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाला है।

- भारत में, 2014 से मुद्रास्फीति संतुलन (*Moderation*) देखा जा रहा है। हालाँकि हाल में ही इसमें वृद्धि दिख रही है। यद्यपि थोक कीमत सूचकांक (*डब्ल्यू.पी.आई.*) मुद्रास्फीति में 2015-16 और 2018-19 के बीच वृद्धि देखी गई थी, तथापि इसमें 2018-19 (अप्रैल से दिसंबर, 2018 तक) में 2019-20 (अप्रैल से दिसंबर 2019 तक) के दौरान गिरावट आई। खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट, 2014-15 और 2018-19 के बीच मुद्रास्फीति में देखी गई तीव्र गिरावटों में एक प्रमुख सहायक घटक रही है। साथ ही मुद्रास्फीति संबंधी गतिकी में बदलाव आ रहा है। 2013-14 से मुद्रास्फीति के औसतन स्तरों में न केवल गिरावट आई है, बल्कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति के अधिकतम स्तर भी बहुत कम हैं। साथ ही, सी.पी.आई.-सी. के अनुसार 2012 के बाद से हेडलाइन मुद्रास्फीति का कोर मुद्रास्फीति की ओर अधिसरण हुआ है।

विभिन्न कीमत सूचियों पर आधारित सामान्य मुद्रास्फीति

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19*	2019-20*
डब्ल्यू.पी.आई.	5.2	1.2	-3.7	1.7	3.0	4.3	4.7	1.5 (P)
सी.पी.आई.-सी.	9.4	5.9	4.9	4.5	3.6	3.4	3.7	4.1 (P)
सी.पी.आई.-आई.डब्ल्यू.	9.7	6.3	5.6	4.1	3.1	5.4	4.9	7.6
सी.पी.आई.-ए.एल.	11.6	6.6	4.4	4.2	2.2	2.1	1.7	7.3
सी.पी.आई.-आर.एल.	11.5	6.9	4.6	4.2	2.3	2.2	1.9	7.1

मोट: अर्थिक सलाहकार कार्यालय, थोक कीमत सूचकांक (*डब्ल्यू.पी.आई.*) के लिये उद्योग संबंद्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (*डी.पी.आई.आई.टी.*); सी.पी.आई.-सी. के लिये राष्ट्रीय सार्विकी कार्यालय (*एन.एस.ओ.*) और सी.पी.आई.-आई.डब्ल्यू., सी.पी.आई.-ए.एल. और सी.पी.आई.-आर.एल. के लिये श्रम व्यूहों।

नोट: 2013-14 के लिये सी.पी.आई.-सी. मुद्रास्फीति पुणी श्रेखला 2010=100 पर आधारित है; (*पी.*) अनंतिम; सी. का अर्थ संयुक्त, आई.डब्ल्यू. का अर्थ औद्योगिक कामगार, ए.एल. का अर्थ कृषि संबंधी श्रमिक और आर.एल. का अर्थ ग्रामीण श्रमिक है।

*2019-20 सी.पी.आई.-सी. डब्ल्यू.पी.आई., सी.पी.आई.-ए.एल., सी.पी.आई.-आर.एल. के लिये अप्रैल से दिसंबर 2019 से संबंधित है और सी.पी.आई.-आई.डब्ल्यू. हेतु अप्रैल से नवंबर 2019 से संबंधित है।

6

संधारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन (Sustainable Development and Climate Change)

संधारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी), सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय असमानताओं से मुक्त एक संधारणीय भविष्य प्राप्त करने हेतु तथा एतद द्वारा भावी पीढ़ियों के लिये एक अधिक हरी-भरी और स्वास्थ्यप्रद पृथक् सुनिश्चित करने हेतु विकास संबंधी चुनौतियों से निष्टने के लिये एक सुव्यवस्थित ढाँचा तैयार करते हैं। समग्र एसडीजी इंडेक्स में भारत की उपलब्धि प्रशंसनीय है, जिसमें भारत का प्राप्तांक वर्ष 2018 में 57 से सुधरकर वर्ष 2019 में 60 हो गया है। योजनाओं की एक व्यापक व्यूहरचना के कार्यान्वयन द्वारा इन एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये समग्र दृष्टिकोण के अनुसरण के साथ संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अंगीकरण, कार्यान्वयन और निगरानी में भारत की प्रगति उल्लेखनीय है। एसडीजी संकेतक संबद्ध रिपोर्टिंग मॉनिटरिंग ढाँचे ने भारत के विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये नेक्सस एप्रोच के अन्वेषण में सहायता की है। संधारणीय विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में, विभिन्न योजनाओं की शुरुआत के साथ, भारत आर्थिक विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहाँ वन एवं वृक्षाच्छादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वन एवं वृक्ष आच्छादन 80.73 मिलियन हेक्टेयर पर पहुँच गया है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.56 प्रतिशत है। संधारणीयता को अधिक फोकस में लाने के लिये व्यक्तिगत एवं संस्थागत क्षमता निर्माण, ज्ञान में वृद्धि करना और प्रौद्योगिक हस्तांतरण एवं विकास, वित्तीय तंत्र में सामर्थ्य निर्माण, पूर्व-संचेतक प्रणालियों के कार्यान्वयन, जोखिम प्रबंधन के व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन एवं अपस्केलिंग के अंतर को पाठने की दिशा में अनेक कार्यों को अमल में लाया जाना आवश्यक है। संधारणीय विकास उपलब्ध कराने और जलवायु परिवर्तन के समाधान के वैश्विक एजेंडे को तभी पूरा किया जा सकता है, जब विकसित विश्व द्वारा विकासशील देशों के कार्यान्वयन के साधनों की कमी की पूर्ति करते हुए, समस्त राष्ट्र अपने-अपने हिस्से की जिम्मेदारी का समयक रूप से निर्वाह करें।

परिचय (Introduction)

वर्ष 2019 में संधारणीय विकास हेतु एजेंडा-2030 और पेरिस करार को अपनाने के चार वर्ष पूरे हो गए। ग्रामीण परिवारों का विद्युतीकरण, नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग संबद्धन, कुपोषण निवारण, गरीबी उन्मूलन, सभी बालिकाओं के लिये प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता, सबके लिये स्वच्छता एवं आवासन, वैश्विक श्रम बाज़ार में स्पर्धा के लिये युवाओं का कौशल विकास, वित्त एवं वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराने की क्षमता का विकास जैसी अपनी नीतियों में प्रतिष्ठापित समावेशी विकास हेतु सुविचारित पहलों के माध्यम से भारत 'संधारणीयता' के तत्त्व को आर्थिक विकास से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। संधारणीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में भारत के प्रयास वैश्विक स्तर पर इनकी सफलता में सहयोग करेंगे। भारत

संधारणीय विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के पथ पर आगे बढ़ रहा है। भारत विश्व के उन गिने-चुने देशों में है जहाँ, विकास कार्यों के रहते-रहते, वन एवं वृक्ष आच्छादन में पर्याप्त वृद्धि हो रही है। अन्य कुछ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करने से पता चलता है कि भारत में वनाच्छादन में धनात्मक वृद्धि हो रही है। इसके साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिये भारत द्वारा की जाने वाली सतत कार्रवाइयों द्वारा बड़े-बड़े फासले तय करने में इसने सहायता की है जो वर्ष 2005-2014 के दौरान भारत के जीडीपी की उत्सर्जन सघनता को 21 प्रतिशत कम करने वाले इसके प्रयासों में भी परिलक्षित होती है। चूंकि भारत सतत प्रगति के पथ पर अग्रसर है, अतः संधारणीय विकास कार्यान्वयन और जलवायु परिवर्तन समाधान के वैश्विक एजेंडे को केवल तभी कार्यान्वित किया जा सकता है जब विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को वित्तीय दायित्व (Financial Obligation) की पूर्ति के साथ-साथ समस्त राष्ट्र अपने हिस्से की जिम्मेदारी के सम्यक निर्वाह के लिये अपेक्षित तत्परता का प्रदर्शन करें।

भारत और संधारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी)

[India and Sustainable Development Goals – (SDGs)]

- योजनाओं की एक व्यापक व्यूहरचना के कार्यान्वयन द्वारा भारत संधारणीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये एक समग्रतामूलक अवधारणा का अनुसरण करता है। संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की दिशा में की गई प्रगति का आकलन एसडीजी इंडिया इंडेक्स-2019 द्वारा किया गया है। प्रथम संस्करण द्वारा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की प्रगति का मापन 13 लक्ष्यों से संबंधित 62 संकेतकों के एक समूह के आधार पर किया गया जबकि 2019 इंडेक्स अधिक व्यापक है और 16 लक्ष्यों से संबंधित 100 संकेतकों के एक वृहत्तर समूह के आधार पर, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा की जा रही प्रगति को रेखांकित करता है। यह इंडेक्स एसडीजी लक्ष्य-17 पर गुणात्मक आकलन को भी समाविष्ट करता है। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019 रिपोर्ट में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रोफाइलों पर एक नए अनुभाग भी शामिल किया गया है।
- राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का श्रेणी निर्धारण 16 एसडीजी लक्ष्यों के अंतर्गत इनके संपूर्ण कार्य निष्पादन के आधार पर किया जाता है। एसडीजी प्राप्तांक 0 से 100 तक की सीमा में होते हैं। 100 अंकों के प्राप्तांक का अभिप्राय है कि ऐसे राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने वर्ष 2030 के लिये निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं। 0 प्राप्तांक का अभिप्राय है कि संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र तालिका में सबसे नीचे है। 65 या उससे अधिक प्राप्तांक वाले राज्य फ्रंट-रनर (हरे रंग में) जाने जाते हैं, इसी प्रकार 50-64 प्राप्तांक श्रेणी वाले राज्यों (पीले रंग

7

कृषि एवं खाद्य प्रबंधन (Agriculture and Food Management)

रोजगार, आय एवं प्रमुखतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में अपनी सतत भूमिका के कारण कृषि एवं इससे संबद्ध क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बने हुए हैं। राष्ट्रीय आय में इसका योगदान वर्ष 2014-15 के 18.2% से गिरकर वर्ष 2019-20 में 16.5% हो गया है, जो कि अर्थव्यवस्था में होने वाली विकास प्रक्रियाओं एवं संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिये यह अपेक्षित है कि ऋण सुविधा, बीमा कवरेज, सिंचाई सुविधाएँ आदि जैसे क्षेत्रों की चुनौतियों का समाधान किया जाए। भारत में निम्न कार्फ यांत्रिकी के मुद्दे को (जो लगभग 40% है) भी हल करने की आवश्यकता है, जो कि चीन में लगभग 60% एवं ब्राजील में 75% है। पिछले पाँच वर्षों में पशुधन क्षेत्र में लगभग 8% वार्षिक चक्रवृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) से वृद्धि हुई है, जिसके कारण इस क्षेत्र की आय, रोजगार एवं पोषण संबंधी सुरक्षा में अहम भूमिका है। यद्यपि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 2017-18 तक पिछले 6 वर्षों में 5% से अधिक की औसत वार्षिक दर से बढ़ रहा है, फिर भी फार्म आउटपुट के लिये अतिरिक्त बाजार सुजित करने तथा फसल कटाई के बाद की क्षति को कम करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इस क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जुलाई 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन से खाद्य सम्बिडी बिल वर्ष 2014-15 के ₹ 1113171.2 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 171127.5 करोड़ हो गया है।

परिचय (Introduction)

- भारत जैसे विकासशील देश का आर्थिक परिवर्तन मुख्यतः इसकी कृषि एवं सहायक क्षेत्रों के निष्पादन पर निर्भर करता है। यह क्षेत्र ग्रामीण

आजीविका, रोजगार एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में यह आजीविका का सबसे बड़ा साधन है। रोजगार अवसरों के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर रहने वाली भारतीय जनसंख्या का अनुपात अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे ज्यादा है। अधिकतम 70% ग्रामीण जनता अपनी आजीविका के लिये मुख्यतः कृषि पर निर्भर रहती है, जिसमें 82% किसान लघु एवं सीमांत हैं। विकास में समावेशता का उद्देश्य ग्रामीण विकास पर बल देते हुए प्राप्त करना होगा, जहाँ कृषि इसे बेहतर रूप में कर सकती है। सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना है, जिसके लिये सरकार द्वारा आय सहायक स्कीम, फसल बीमा, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकों से लेकर कृषि विपणन सुधार जैसे अनेक उपाय किये जा रहे हैं।

कृषि का सिंहावलोकन (Overview of Agriculture)

कृषि का सकल संवर्द्धित मूल्य में हिस्सा (Share of Agriculture in Gross Value Added)

- देश में मौजूदा कीमतों पर सकल संवर्द्धित मूल्य में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों का हिस्सा वर्ष 2014-15 के 18.2% से गिरकर वर्ष 2019-20 में 16.5% हो गया है। देश के कुल सकल संवर्द्धित मूल्य (Gross Value Added – GVA) में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों का हिस्सा गैर-कृषि क्षेत्रों के अपेक्षाकृत उच्च विकास प्राप्ति के कारण गिर रहा है। यह विकास प्रक्रिया की प्राकृतिक उपलब्धि है जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप गैर-कृषि क्षेत्रों में होने वाली त्वरित वृद्धि को बढ़ावा देती है।

प्रचलित कीमतों पर देश के कुल जीवीए में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों का हिस्सा

माद	वर्ष					
	2014-15	2015-16*	2016-17#	2017-18@	2018-19**	2019-20\$
कृषि और संबंध क्षेत्रों का जीवीए (₹ करोड़ में)	2093612	2227533	2496358	2670147	2775852	3047187
कुल अर्थव्यवस्था के जीवीए में कृषि और संबंध क्षेत्रों के जीवीए का शेयर (प्रतिशत)	18.2	17.7	17.9	17.2	16.1	16.5
फसल का हिस्सा	11.2	10.6	10.6	10.0	-	-
पशुधन का हिस्सा	4.4	4.6	4.8	4.9	-	-
वानिकी और वृक्षों की कटाई का हिस्सा	1.5	1.5	1.4	1.2	-	-
मत्स्य-पालन का हिस्सा	1.0	1.1	1.1	1.1	-	-

मोतः: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)

नोट: **वार्षिक राष्ट्रीय आय 2018-19 के अनंतिम प्राक्कलनों तथा 31 मई, 2019 के सीएसओ द्वारा जारी 2018-19 की चौथी तिमाही (क्यू 4) के लिये सकल घरेलू उत्पाद तिमाही प्राक्कलनों के प्रेस नोट के अनुसार 31 जनवरी, 2019 को जारी वर्ष 2017-18 के राष्ट्रीय आय की प्रथम संशोधित प्राक्कलनों उपयोग, व्यय, बचत एवं पूँजी निर्माण।

द्वितीय संशोधित प्राक्कलन; * तृतीय संशोधित प्राक्कलन; \$ प्रथम अग्रिम प्राक्कलन 2019-20

8

उद्योग और अवसंरचना (Industry and Infrastructure)

औद्योगिक क्षेत्र ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के आधार पर, वर्ष 2018-19 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान 5.0 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) में 0.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि वर्ष 2018-19 (अप्रैल-नवंबर) में 4.9 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान 0.9 प्रतिशत पर रही। रिफाइनरी उत्पाद क्षेत्र की वृद्धि वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान (-) 1.1 प्रतिशत पर आ गई जोकि वर्ष 2018-19 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान 5.3 प्रतिशत थी। इस्पात क्षेत्र ने वर्ष 2018-19 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान 3.6 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की। सरकार ने विभिन्न अवसंरचनागत क्षेत्रों का क्षमता-संवर्धन करने और उत्पादन बढ़ाने के लिये इन क्षेत्रों में नई नीतियों को लागू किया है। दिनांक 31.12.2019 को जारी, राष्ट्रीय अवसंरचना रूपरेखा पर कार्यबल की रिपोर्ट में भारत में वित्त वर्ष 2020 से 2025 की अवधि के दौरान ₹102 लाख करोड़ के कुल अवसंरचना निवेश की योजना है।

परिचय (Introduction)

भारत को पाँच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्र का कार्यनिष्ठादान अत्यधिक महत्वपूर्ण

है। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अन्य दो क्षेत्रों के साथ अपने पश्चात् एवं पूर्वगामी संबंधों के माध्यम से राष्ट्रीय उत्पादन और रोजगार की समग्र संवृद्धि के निर्धारण में निर्णायिक भूमिका का निर्वाह करता है। यह क्षेत्र कुल सकल मूल्य वर्द्धित (जीवीए) के लगभग 30 प्रतिशत का योगदान करता है।

औद्योगिक क्षेत्र में प्रवृत्तियाँ (रुझान) (Trends in Industrial Sector)

जीवीए में अपने योगदान के संदर्भ में औद्योगिक क्षेत्र के कार्यनिष्ठाद में वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में सुधार हुआ है। हालाँकि, राष्ट्रीय सार्विकीय कार्यालय (एनएसओ) द्वारा किये गए सकल घरेलू उत्पाद के प्राक्कलन के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र के वास्तविक जीवीए में वर्ष 2019-20 के पूर्वार्द्ध (अप्रैल-सितंबर) में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 2018-19 के पूर्वार्द्ध (अप्रैल-सितंबर) में यह वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत थी। औद्योगिक क्षेत्र में निम्न वृद्धि का प्राथमिक कारण विनिर्माण क्षेत्र है जिसने वर्ष 2019-20 के पूर्वार्द्ध में 0.2 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की। औद्योगिक क्षेत्र के लिये आधारभूत कीमतों पर वास्तविक जीवीए की वृद्धि का विवरण निम्न है—

स्थिर कीमतों पर उद्योगों में सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) की वृद्धि दर (प्रतिशत में)						
	जीवीए में हिस्सा*	2017-18	2018-19 (PE)	2019-20		2019-20 (1st AE)
				Q ₁	Q ₂	
खनन और उत्खनन	2.4	5.1	1.3	2.7	0.1	1.5
विनिर्माण	16.4	5.9	6.9	0.6	-1.0	2.0
बिजली, गैस, पानी आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ	2.8	8.6	7.0	8.6	3.6	5.4
निर्माण	8.0	5.6	8.7	5.7	3.3	3.2
औद्योगिक क्षेत्र	29.6	5.9	6.9	2.7	0.5	2.5

स्रोत: राष्ट्रीय सार्विकीय कार्यालय (एनएसओ)

टिप्पणी: *जीवीए में हिस्सा चालू कीमतों (2018-19) पर है; AE: अग्रिम अनुमान; PE: अनंतिम अनुमान।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) (Index of Industrial Production—IIP)

औद्योगिक उत्पादक सूचकांक (आईआईपी) औद्योगिक कार्य निष्पादन का एक माप है। यह विनिर्माण क्षेत्र को 77.6 प्रतिशत, खनन क्षेत्र को 14.4 प्रतिशत और बिजली क्षेत्र को 8.0 प्रतिशत भारंक प्रदान करता है। सब मिलाकर, आईआईपी वृद्धि 2017-18 के 4.4 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 में 3.8 प्रतिशत तक घट गई। 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) के चालू वर्ष में, यह पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि के 5.0 प्रतिशत की तुलना

में 0.6 प्रतिशत बढ़ी। वृद्धि में कमी मुख्यतः विनिर्माण गतिविधियों में गिरावट, मध्यम और लघु उद्यमों में धीमे ऋण प्रवाह, नकदी संकट के कारण एनबीएफसी द्वारा कम ऋण देने से तरलता की कमी, मोटरवाहन क्षेत्र, फ़ार्मास्युटिकल्स, मशीनरी और उपस्करों जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिये घरेलू मांग में कमी, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता, विद्यमान व्यापार संबंधित अनिश्चितताओं आदि के कारण हुई। चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रमुख श्रम आधारित क्षेत्रों, जैसे रत्न और आधूषण, मूल धातु, चमड़े के उत्पाद और वस्त्र-उत्पाद जैसे श्रम-आधारित क्षेत्रों के निर्यात में खराब प्रदर्शन हुआ।

9

सेवा क्षेत्र (Services Sector)

भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की महत्ता लगातार बढ़ रही है। भारत की अर्थव्यवस्था के कुल आकार और सकल संबद्धन मूल्य वृद्धि में इसका हिस्सा 55 प्रतिशत है। भारत के सेवा क्षेत्र का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह में दो-तिहाई और कुल नियर्ति में 38 प्रतिशत योगदान है। सेवा क्षेत्र का हिस्सा अब 33 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 15 राज्यों में कुल सकल राज्य संबद्धन मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक है और दिल्ली व चंडीगढ़ में यह हिस्सा 80 प्रतिशत से अधिक है। हालाँकि सकल संबद्धन मूल्य वृद्धि से संबंधित आँकड़े, उच्च आवृत्ति संकेतकों और क्षेत्रवार रुझान 2019-20 के दौरान सेवा क्षेत्र की गतिविधि में नरमी की ओर संकेत करते हैं। 2019-20 के दौरान सेवा क्षेत्र को बैंक ऋण, हवाई यातायात व रेल माल यातायात की वृद्धि में नरमी देखी गई है, जबकि विदेशी पर्यटकों के आगमन व पत्तन यातायात में फ्लोलापन जारी रहा। अप्रैल-सितंबर 2019 के दौरान सेवा क्षेत्र में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह में बेहतरी दर्ज की गई तथा सेवाओं का निर्यातों में संवेग बना रहा। हाल के वर्षों में सेवाओं के निर्यातों का निष्पादन वस्तुओं के निष्पादन से बेहतर रहा है, जिसके कारण विश्व के वाणिज्यिक सेवा निर्यातों में भारत का अंश पिछले दशक में लगातार बढ़ते हुए 2018 में 3.5 प्रतिशत पर पहुँच गया, जो कि वस्तुओं के निर्यातों में भारत के 1.7 प्रतिशत से दोगुना है। हाल के वर्षों में भारत का शिक्षा सेवा आयात तेजी से बढ़कर 2013-14 के 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर से 2018-19 में 5.0 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुँच गया है। बंदरगाहों पर जहाज वापसी का समय 2010-11 के 4.67 दिनों से आधा होकर 2018-19 में 2.48 दिन रह गया। भारत ने हाल के वर्षों में, लगभग 5-7

उपग्रह प्रतिवर्ष छोड़े हैं, जिनमें 2017 में हुई एक असफलता को छोड़कर अन्य कोई असफलता नहीं रही है।

भारत में सेवा क्षेत्रों का प्रदर्शन: एक सिंहावलोकन (Services Sector Performance : An Overview)

सेवा क्षेत्र में भारत का सकल संबद्धन मूल्य

(Gross Value Added in Services Sector)

• सार्विकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सकल मूल्य संबद्धन (जी.वी.ए.) के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2019-20 के दौरान सेवाओं के क्षेत्र में (वर्ष-दर-वर्ष) संबृद्धि में गिरावट जारी रही। यह वृद्धि दर 2018-19 में 7.5 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 6.9 प्रतिशत पर पहुँच गई। उप-क्षेत्रवार, ‘वित्तीय सेवाओं, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं’ की वृद्धि दर (वर्ष-दर-वर्ष) में 2019-20 के दौरान नरमी दर्ज की गई है एवं यह वर्ष 2019-20 में 6.4 प्रतिशत हो गई और ‘व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण सेवाओं’ की वृद्धि दर में 2019-20 में गिरावट जारी रही जिससे इसकी वृद्धि दर 5.9 प्रतिशत पर पहुँच गई। तथापि, 2019-20 के दौरान ‘लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाओं’ से संबंधित कार्यकलापों में तेजी दर्ज की गई जिसके कारण इनमें 9.1 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) हुई। हाल की निम्न वृद्धि दर के बावजूद, सेवा क्षेत्र ने लगातार कृषि और उद्योग क्षेत्र से बेहतर प्रदर्शन किया है तथा कुल सकल संबद्धन मूल्य एवं कुल सकल संबद्धन मूल्य वृद्धि में इसका अंश लगभग 55 प्रतिशत है।

भारत के सकल संबद्धन मूल्य में सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन

क्षेत्र	सकल संबद्धन मूल्य में हिस्सा (प्रतिशत)	वृद्धि (प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष)				
		2019-20 (1st AE)	2017-18 (RE)	2018-19 (PE)	2019-20 (1st AE)	2019-20 Q1
कुल सेवाएँ	55.3	8.1	7.5	6.9	6.9	6.8
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाएँ	18.3	7.8	6.9	5.9	7.1	4.8
वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएँ	21.3	6.2	7.4	6.4	5.9	5.8
लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ	15.6	11.9	8.6	9.1	8.5	11.6
स्रोत: सार्विकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय						
नोट: वर्तमान मूल्य और स्थायी वृद्धि मूल्य 2011-12 में हिस्सा; RE : संशोधित अनुमान PE ; अनंतिम अनुमान; 1st AE : प्रथम अग्रिम अनुमान।						

10

सामाजिक अवसंरचना, रोज़गार और मानव विकास (Social Infrastructure, Employment and Human Development)

चूंकि भारत में आबादी का एक बड़ा हिस्सा नौजवान लोगों का है, अतः शिक्षा, हेल्थ केयर, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता जैसे सामाजिक क्षेत्रों में भारत को जनसाधारणीय लाभ प्राप्त है, जो लोगों के जीवन की गुणवत्ता के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की उत्पादकता पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। समाज के सभी क्षेत्रों तक पहुँचने के लिये नीतियों/योजनाओं के डिज़ाइन में मूलभूत परिवर्तन, लोगों की भागीदारी, जागरूकता, प्रौद्योगिकी उपयोग और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से पहुँच का विस्तार करना शामिल है। 2014-15 से 2019-20 की अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सामाजिक सेवाओं पर कुल खर्च में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। शिक्षा की पहुँच ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सभी स्तरों पर शिक्षा प्रणाली में भागीदारी को बेहतर बनाया है। महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए आईटीआई के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से आवश्यक कौशल प्रदान करने के प्रयासों को बढ़ाते हुए कौशल विकास को आगे बढ़ाया गया है। अर्थव्यवस्था में कुल औपचारिक रोज़गार में वर्ष 2011-12 के 8 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2017-18 में 9.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई। देश भर में आयुष्मान भारत और मिशन इंड्रनुष के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच में सुधार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 76.7 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में लगभग 96 प्रतिशत परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध थे। भारत के जल संकट ग्रस्त जिलों में जल-संरक्षण गतिविधियों को तेज़ करने के लिये जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई।

परिचय (Introduction)

समावेशी विकास और रोज़गार के लिये सामाजिक बुनियादी ढाँचे में निवेश एक पूर्व-शर्त है। 2019-20 के अंतरिम बजट में सरकार ने अगले एक दशक के लिये एक विज्ञान रखा है जिसमें अन्य बातों के साथ ही सामाजिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर बल दिया गया है जिसमें स्वस्थ समाज-आयुष्मान भारत, महिलाओं और बच्चों के उचित पोषण और नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। हमें वर्ष 2022 तक सभी के लिये बिजली, स्वच्छ खाना पकाने की सुविधा और आवास उपलब्ध कराने जैसी चुनौतियों का समाधान करने की ज़रूरत भी है। अपेक्षित कौशल प्रदान करना और रोज़गार सृजन के लिये सहज बातावरण तैयार करना महत्वपूर्ण प्राथमिकताएँ हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप से जल की आपूर्ति और हर गाँव में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

सामाजिक क्षेत्र के व्यय में रुझान (Trends in Social Sector Expenditure)

सामाजिक सेवा क्षेत्र पर खर्च में वृद्धि सरकार की सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। केंद्र और राज्यों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात के रूप में सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य) पर खर्च 2014-15 से 2019-20 (बजट प्राक्कलन-बीड़ी) की अवधि के दौरान 1.5 प्रतिशत बढ़कर 6.2 से 7.7 प्रतिशत हो गया। इस अवधि के दौरान यह वृद्धि सभी क्षेत्रों में देखी गई।

सरकार [संयुक्त (केंद्र और राज्यों की सरकारों)] द्वारा सामाजिक सेवा क्षेत्र के खर्च में रुझान

मद	वर्ष					
	2014-15	2015-16	2016-17#	2017-18	2018-19 RE	2019-20 BE
कुल बजटीय व्यय	32.85	37.61	42.66	45.16	55.17	60.72
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	7.68	9.16	10.41	11.40	14.47	15.79
जिसमें से						
(i) शिक्षा	3.54	3.92	4.35	4.83	5.81	6.43
(ii) स्वास्थ्य	1.49	1.75	2.13	2.43	2.92	3.24
(iii) अन्य	2.65	3.48	3.93	4.13	5.74	6.12
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में						
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	6.2	6.6	6.8	6.7	7.6	7.7
जिसमें से						
(i) शिक्षा	2.8	2.8	2.8	2.8	3.1	3.1
(ii) स्वास्थ्य	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6
(iii) अन्य	2.1	2.5	2.6	2.4	3.0	3.0

1

बजट 2020-21 (Budget 2020-21)

केंद्रीय बजट 2020-21 के प्रमुख बिंदु (Key Highlights of Union Budget 2020-21)

केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2020-21 का केंद्रीय बजट पेश किया। 21वीं सदी के तीसरे दशक के इस बजट में वित्त मंत्री ने दीर्घकालिक प्रभाव वाले कई सुधारों की धोषणा की जिनका उद्देश्य लघु अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि के उपायों के ज़रिये भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊर्जावान बनाना है।

बजट संबंधी प्रमुख बिंदु

बजट के तीन प्रमुख बिंदु


- **महत्वाकांक्षी भारत (Aspirational India):** ऐसा भारत जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिये स्वास्थ्य और शिक्षा की पीड़ुँच तथा रोजगार के बेहतर अवसर हों, ताकि उनके जीवन का स्तर अच्छा हो सके।
- **सभी के लिये आर्थिक विकास (Economic Development for All):** ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’।
- **ज़िम्मेदार समाज (Caring Society):** मानवीय और सहदय, अंत्योदय, आस्था का आधार।
- तीन बड़े विषयों को एक साथ लाना-
 - भ्रष्टाचार मुक्त, नीति निर्देशित और सक्षम शासन
 - साफ-सुथरा और मजबूत वित्तीय क्षेत्र
- केंद्रीय बजट 2020-21 में जीवन सुगमता को तीन प्रमुख विषयों के रूप में रेखांकित किया गया है।

कृषि सिंचाई तथा ग्रामीण विकास

- पीएम कुसुम में स्टैंड अलोन सोलर पंप हेतु 20 लाख किसानों को शामिल किया जाएगा और ग्रिड से जुड़े पंपों के लिये 15 लाख किसानों को शामिल किया जाएगा।
- पीपीपी मोड पर कार्यक्षम वेयरहाउस के सृजन के लिये व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण
- SHGs द्वारा चलाई जाने वाली ग्राम भंडार स्कीम का शुभारंभ
- e-NWR का e-NAM के साथ एकीकरण
- खराब होने वाली वस्तुओं के लिये अबाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति शृंखला के लिये भारतीय रेलवे और नागर विमान मंत्रालय द्वारा क्रमशः ‘किसान रेल’ और ‘कृषि उड़ान’ की शुरुआत
- 2025 तक मवेशियों में FMD तथा ब्रूसेलोसिस तथा भेड़ और बकरियों में PPR को समाप्त करना
- कृत्रिम गर्भधान का कवरेज बढ़ाकर 70% करना
- 2020-21 के लिये ₹15 लाख करोड़ का कृषि ऋण लक्ष्य
- 2022-23 तक 20 लाख टन का मत्स्य उत्पादन
- 45000 एकड़ जल कृषि को सहायता
- 3477 सागर मिठों और 500 मत्स्य FPOs के माध्यम से मत्स्य पालन का विस्तार
- 2024-25 तक मत्स्य निर्यात बढ़ाकर ₹1 लाख करोड़ करना।

वेलनेस, जल और स्वच्छता

- प्रधानमंत्री जन आगेय योजना के अंतर्गत 20,000 से ज्यादा अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया।
- गैर-संचारी रोगों के विरुद्ध फिट इंडिया अभियान की शुरुआत।
- तपोदिक को 2025 तक समाप्त करने के लिये ‘टीबी हारेगा देश जीतेगा’ अभियान की शुरुआत।
- पीपीपी मोड में अस्पतालों की स्थापना के लिये व्यवहार्यता अंतर निधियन का प्रस्ताव।
- 2024 तक सभी ज़िलों में जन औषधि केंद्र का विस्तार।
- ODF व्यवहार की वहनीयता हेतु ODF प्लस।
- अपशिष्ट प्रबंधन के साथ तरल और धूसर जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना।



2

प्रमुख सरकारी योजनाएँ (Major Government Schemes)

सरकारी योजनाओं से संबंधित परिभाषाएँ एवं तथ्य (Definitions and Facts Related to Government Schemes)

- अक्टूबर 2015 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के युक्तीकरण पर मुख्यमंत्रियों के उप समूह (The Sub-Group of Chief Ministers on Rationalisation of Centrally Sponsored Schemes) ने अपनी रिपोर्ट नीति आयोग को सौंपी थी। इसकी अध्यक्षता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। इसके आधार पर केंद्र सरकार ने योजनाओं की संरचना और वित्त पोषण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया।
- केंद्र सरकार की योजनाएँ मुख्यता दो प्रकार की होती हैं-
 - केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (Centrally Sponsored Schemes)
 - केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ (Central Sector Schemes)
- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है तथा इनका संबंध संविधान की सातवीं अनुसूची के संघ सूची में आने वाले विषयों से है। इन्हें संघ सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत कार्य करने वाली संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वयन किया जाता है और ये संघ सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित हैं।
- केंद्र प्रायोजित योजना का संबंध संविधान की सातवीं अनुसूची के राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषयों से है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है और इनकी आर्थिक लागत को केंद्र और राज्यों के बीच सामान्यतः साझा किया जाता है।
- उप समूह ने सिफारिश की थी कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की कुल संख्या 30 से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- केंद्र प्रायोजित योजना को कोर और वैकल्पिक योजनाओं में विभाजित किया गया है।
 - कोर योजनाएँ: इसमें वह केंद्र प्रायोजित योजनाएँ शामिल हैं जिनका एजेंडा राष्ट्रीय विकास है तथा यहाँ केंद्र और राज्य सरकार को टीम इंडिया की भावना के साथ मिलकर काम करना है।
 - कोर ऑफ कोर योजनाएँ: वे योजनाएँ जो सामाजिक संरक्षण और सामाजिक समावेशन के लिये आवश्यक हैं और नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा के लिये उपलब्ध धन पर प्राथमिक रूप से भारित हैं।
 - वैकल्पिक योजनाएँ: इन योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर है तथा वे इनका चयन करने के लिये स्वतंत्र हैं। इन योजनाओं के लिये वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को एकमुश्त राशि आवंटित की जाती है।
- कोर ऑफ कोर योजनाओं का वित्त पोषण अपने पूर्व रूप में ही जारी रहेगा।
- कोर योजनाओं के संबंध में वित्त पोषण निम्न आधार पर होगा-
 - उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिये केंद्र और राज्य सरकार के मध्य 90:10 में लागत साझा होगी।
 - अन्य राज्यों के लिये केंद्र और राज्य 60:40 में लागत साझा करेंगे।
 - जिन केंद्रशासित प्रदेशों में विधायिका नहीं है वहाँ केंद्र सरकार 100 प्रतिशत और विधायिका वाले संघ शासित प्रदेशों में पूर्व निर्धारित वित्त पोषण जारी रहेगा।
- वैकल्पिक योजनाओं के लिये वित्त पोषण निम्न आधार पर होगा-
 - उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिये केंद्र और राज्य सरकार के मध्य 80:20 में लागत साझा होगी।
 - जिन केंद्रशासित प्रदेशों में विधायिका नहीं है वहाँ केंद्र सरकार 100 प्रतिशत और विधायिका वाले संघ शासित प्रदेशों में 80:20 में लागत साझा करेंगे।
- केंद्र प्रायोजित योजना को निर्मित करते समय केंद्रीय मंत्रालय राज्यों को घटकों के चयन में लचीलापन प्रदान करेंगे जैसा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत उपलब्ध है।
- इसके अलावा, प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना में उपलब्ध फ्लैक्सी-फंड को राज्यों के लिये 10 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 25 प्रतिशत और केंद्रशासित प्रदेश के लिये 30 प्रतिशत कर दिया गया है ताकि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपनी विशिष्ट आवश्यकताएँ बेहतर तरीके से पूर्ण कर सकें।
- बजट 2018-19 के अनुसार कोर ऑफ कोर योजनाएँ निम्न हैं-
 1. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
 2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम - मनरेगा
 3. अनुसूचित जातियों के विकास के लिये अम्बेला योजना
 4. अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये अम्बेला योजना
 5. अल्पसंख्यकों के विकास के लिये अम्बेला कार्यक्रम
 6. अन्य कमज़ोर समूहों के विकास के लिये अम्बेला कार्यक्रम
- कोर योजनाओं में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नील क्रांति इत्यादि योजनाएँ शामिल हैं।



Think IAS Think Drishti

अब घर बैठे कीजिये
आई.ए.एस. की तैयारी
क्योंकि हम आ रहे हैं
आपके घर

आई.ए.एस. प्रिलिम्स ऑनलाइन कोर्स (IAS Prelims Online Course)

प्रिय विद्यार्थियों,

संसाधन की कमी अक्सर हमारी उडान को सीमित कर देती है। हममें आगे बढ़ने की तड़प तो खुब होती है किंतु उसे साकार करने वाले साधनों का अभाव हमें मायूस कर देता है। पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न हिस्सों से आप जैसे हजारों विद्यार्थियों ने हमें इस आशय के संदेश भेजे कि वे सिविल सेवा में जाने की इच्छा तो रखते हैं किंतु इसकी तैयारी के लिये दिल्ली में रहने का आरी-भरकम खर्च उठा पाना उनके लिये संभव नहीं है। साथ ही आपने हमसे यह अपेक्षा भी व्यक्त की कि हम ऐसी कोई व्यवस्था करें जिसमें आप घर-बैठे दृष्टि की कक्षा कार्यक्रम जैसी गुणवत्तापरक क्लास कर पाएँ। आपके इन्हीं निवेदनों को ध्यान में रखते हुए हम अपना पहला 'पेन ड्राइव कोर्स' जारी कर रहे हैं जो आई.ए.एस. प्रिलिम्स के पाठ्यक्रम पर केंद्रित है। इसमें आप सामान्य अध्ययन तथा सीसैट के कोर्स ले सकते हैं। लगभग 2 वर्षों की कठोर भेन्हनत से तैयार हुआ यह वीडियो कोर्स गुणवत्ता में अच्छे से अच्छे क्लासरूम प्रोग्राम को टक्कर दे सकता है। हमें विश्वास है कि यह कोर्स उस अंतराल को भरने में सफल होगा जो दिल्ली में रहकर तैयारी करने वाले और दिल्ली नहीं आ पाने वाले विद्यार्थियों के बीच बना रहता है। निकट भविष्य में हम IAS मुख्य परीक्षा और विभिन्न राज्यों की PCS परीक्षाओं के लिये भी ऑनलाइन कोर्स शुरू करेंगे।

एडमिशन प्रारंभ

विद्यार्थियों की भारी मांग को देखते हुए ऑनलाइन पेनड्राइव कोर्स

पर 20% की विशेष छूट अब शुरुआती 1000 विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध

मोड : पेन ड्राइव

कक्षाओं की गुणवत्ता को परखने के लिये डेमो वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल **Drishti IAS** की प्लेलिस्ट **Online Courses** में देखें



ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हर जानकारी के लिये हमारी वेबसाइट www.drishtiias.com पर **FAQs** पेज देखें



IAS प्रिलिम्स ऑनलाइन कोर्स की विशेषताएँ

- 500+ घंटे की सामान्य अध्ययन की कक्षाएँ।
- 120+ घंटे की सीसैट की कक्षाएँ।
- प्रत्येक कक्षा को 3 बार देखने की सुविधा ताकि आप रिवीझन भी कर सकें।
- कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल। इमेज, वीडियो आदि की मदद से कठिन विषय समझाने की शैली।
- हर क्लास के अंत में उस टॉपिक से IAS में पूछे गए और अन्य संभावित प्रश्नों का अभ्यास।
- स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कैमरा और साउंड क्वालिटी जो क्लास के अनुभव को एकदम वास्तविक जैसा बनाती है।
- प्रिलिम्स के ठीक पहले करेंट अफेयर्स की 30 ऑनलाइन कक्षाएँ (निःशुल्क)।
- ऑनलाइन प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज (25+5 टेस्ट) की निःशुल्क सुविधा।
- विचक बुक सीरीज की 8 पुस्तकें निःशुल्क, जिनके अलावा कोई और स्टडी मैटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं।
- इस कोर्स को करने के बाद अगर आप दृष्टि की किसी भी शाखा में सामान्य अध्ययन (फाउंडेशन कोर्स) करते हैं तो आपकी ऑनलाइन कोर्स की फीस की 50% राशि की छूट दी जाएगी।


जानकारी के लिये कॉल करें- 9319290700, 9319290701, 9319290702 या सिर्फ मिर्ड कॉल करें- 8010600300

दिल्ली शाखा का पता : 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09

प्रयागराज शाखा का पता : ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका बौराहा, सिविल लाइंस, प्रयागराज

Ph.: 8448485517, 8448485519, 87501 87501, 011-47532596

दृष्टि पब्लिकेशन्स की प्रमुख पुस्तकें



641, 1st Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9

Ph.: 011-47532596, 87501 87501

Website: www.drishtipublications.com, www.drishtiias.com

E-mail: booksteam@groupdrishti.com

ISBN 978-81-945474-7-1



9 788194 547471

मूल्य : ₹ 250